मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011
फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–2550498
ई–मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

पी.पी.टी. – 2013

ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि		21.03.2013
ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि		19.04.2013
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में सशोधन करने की प्रारम्भ तिथि		20.04.2013
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में सशोधन करने की अंतिम तिथि		29.04.2013
परीक्षा दिनांक व दिन		12.05.2013, रविवार
परीक्षा शुल्क	अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए :–	रू... 400/–
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्तजन के लिए :–	रू... 200/–
ऑनलाईन आवेदन–पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रू. 50/– देय होगा।		

समय – सारणी

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियॉ भरने का समय	प्रश्न–पत्र वितरण समय	प्रश्न–पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
12.05.2013,रविवार	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 से 10:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:10 बजे	प्रातः 10:10 से 10:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 10:15 से 01:15 बजे तक (3:00 घंटे)

नोट :–

- परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट बाद परीक्षा केन्द्र में पहुंचने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- परीक्षार्थी को परीक्षा उपरांत परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व अपनी उत्तरशीट वीक्षक को सौंपना अनिवार्य है।
- सेल्यूलर/मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल, रफ पेपर आदि परीक्षा कक्ष में ले जाना वर्जित है।
- ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जवाबदारी/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।

प्री–पोलीटेक्निक टेस्ट (PPT) - 2013

विषय सूची

अध्याय – 1

निर्देश एवं परीक्षा संचालन नियम

स.क्रं.	विवरण	नियम क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
1	ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया	1.1	3
2	ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	1.2	3
3	ऑनलाईन आवेदन पत्र की जानकारी में संशोधन	1.6	6–7
4	प्रवेश–पत्र	1.8	7
5	परीक्षा शहर	1.9	7
6	अनुचित साधन	1.12	7–8
7	परीक्षा पद्धति	1.13	8
8	प्रश्न पुस्तिकाओं के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन	1.17	9
9	मॉडल आंसर्स/फायनल आंसर्स	1.18	9–10
10	परीक्षा परिणाम का प्रकाशन	1.19	10

अध्याय – 2 (प्रवेश परीक्षा नियम)

पीपीटी–2013 (मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेक्निक महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालयों)

स.क्रं.	विवरण	नियम क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
1	प्रवेश नियम	2.4	13–20
2.	प्रवेश की प्रक्रिया	2.5	21
3.	योग्यता क्रम सूचियां	2.6.3	22
4.	पीपीटी पाठ्यक्रम हेतु सीटों की उपलब्धता	टेबल–1	39–46

अध्याय – 3 (प्रवेश परीक्षा नियम)

पीपीटी–2013 (मध्यप्रदेश में स्थित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में)

स.क्रं.	विवरण	नियम क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
1	प्रवेश नियम	3.4	28–33
2.	प्रवेश की प्रक्रिया	3.5	33
3.	योग्यता क्रम सूचियां	3.6.3	34
4.	पीपीटी पाठ्यक्रम हेतु सीटों की उपलब्धता	टेबल–1	39–46

अध्याय – 4

प्रारूप 01 से 16 – पृष्ठ क्रं. 47 से 65 तक

अध्याय – 5

पाठ्यक्रम – पृष्ठ क्रं. 67 से 72 तक

पी.पी.टी. – 2013
अध्याय – 1
निर्देश एवं परीक्षा संचालन नियम

महत्वपूर्ण :–

ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन काउंसलिंग/प्रवेश के समय मूल दस्तावेजों के आधार पर संबंधित विभाग/संस्था द्वारा किया जायेगा। अतः बाद में यह पता चलता है कि सफल आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरते समय गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है, ऐसी स्थिति में यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार झूठी/गलत जानकारी देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपा कर प्रवेश पाने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया गया कि आवेदक को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है, तो आवेदक को दिया गया प्रवेश संस्था प्रमुख/प्रवेश प्राधिकरण/मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा उसके अध्ययन काल के दौरान तुरंत बिना किसी सूचना के रद्ध किया जा सकेगा।

1.1 ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया :–

(1) ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के लिए वेबसाईट www.vyapam.nic.in; www.mponline.gov.in का उपयोग करें।

(2) उपरोक्त उल्लेखित वेबसाईट पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने संबंधी निर्देशों को भलीभांति पढ़ने के उपरांत ही भरें।

(3) ऑनलाईन आवेदन–पत्र एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत क्योस्क को नकद निर्धारित परीक्षा शुल्क पी.पी.टी.–2013 हेतु अनारक्षित/ अन्य पिछड़ी जाति के लिए 400/– तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्तजन के लिए 200/– तथा अतिरिक्त क्योस्क शुल्क रु. 50/– का भुगतान कर भरा जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाईट्स से डेबिट(कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो कार्ड)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है।

(4) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन–पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन–पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश–पत्र प्राप्त किया जा सके।

1.2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :–

आवेदक का फोटोग्राफ व हस्ताक्षर तथा आवेदक द्वारा यदि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में मध्यप्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया हो, तो निर्धारित प्रारूप में संचालक, खेल एवं युवक कल्याण से जारी मूल प्रमाण–पत्र की स्कैन की गई हुई प्रति ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज/प्रमाण–पत्र ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ संलग्न नहीं किया जाना है।

1.3 एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन भरने पर :– आवेदक द्वारा एक बार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के उपरांत यदि वह दूसरी बार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरता है तो उसके नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि व फोटो एक समान होने पर आवेदक द्वारा पूर्व में भरे गए आवेदन पत्र का क्रमांक प्रदर्शित होगा, और यह जानकारी ली जायेगी कि क्या आवेदक पूर्व में भरे गए आवेदन को निरस्त करना चाहता हैं ? यदि आवेदक निरस्त करने में सहमत नहीं है, तो उसके द्वारा भरा जा रहा

द्वितीय आवेदन नही भरा जा सकेगा तथा पहले भरा हुआ आवेदन ही मान्य होगा। दूसरी तरफ सहमत होने पर पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त कर वर्तमान आवेदन को मान्य करते हुए स्वीकार किया जाएगा। इस स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन के साथ आवेदक द्वारा भुगतान शुल्क राजसात किया जावेगा।

1.4 आवदेन पत्र के साथ लगाये जाने वाले फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर से संबंधित निर्देशः–

(i) आवदेन पत्र के साथ लगाया जाने वाला फोटोग्राफ रंगीन व साईज 3.5 से.मी. x 4.5 से.मी. का होना चाहिये, जिसकी गुणवत्ता अच्छी एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।

(ii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

(iii) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला फोटोग्राफ आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।

(iv) काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा।

(v) जो फोटोग्राफ ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा, वही फोटोग्राफ काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जाना होगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ लगाये जाने वाले फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ आवेदक को अपने पास सुरक्षित रखना होगा।

(vi) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे किया जाना होगा।

(vii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ लघु हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।

(viii) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय किये जाने होगें, इसका विशेष ध्यान रखा जाना होगा।

(ix) अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।

(x) ऑनलाईन आवेदन पत्र में एक से अधिक हस्ताक्षर नही होना चाहिए।

(xi) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर स्केनिंग उपरांत पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए।

1.5 <u>ऑनलाईन आवेदन भरने के निर्देश :</u>

1.5.1 ऑनलाईन आवेदन 21.03.2013 से 19.04.2013 की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है।

1.5.2 इंटरनेट केफे या स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन फार्म भरने की विधिः

आवेदक www.mponline.gov.in वेबसाईट के माध्यम से होम पेज पर Citizen Services (नागरिक सेवाएं) में Application क्लिक करें, इसके उपरांत Vyapam लिंक पर क्लिक करने के फलस्वरूप पी.पी.टी. –2013 परीक्षा से संबंधित पृष्ठ खुलेगा, जिसमें ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश (Instructions) तथा परीक्षा नियम (Examination Rules) के लिंक उपलब्ध होंगे । इसके अतिरिक्त नीचे (continue) बटन को निर्देश पढ़ने उपरांत ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु क्लिक करें ।

1.5.2.2 आवेदक इंटरनेट केफे के माध्यम से या घर पर स्वयं ही अपना फार्म भर सकता है। आवेदक फार्म भरने से पहले 1.5.2.1 पर दिये निर्देश अनुसार समस्त जानकारी और शर्तो को अच्छी तरह पढ़ने के उपरांत ही आवेदक Continue को क्लिक करें। इसके उपरांत आवेदक को स्क्रीन पर फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियों को सही–सही भरना अनिवार्य है।

आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन Browse दिखाई देगा। इसमें आवेदक को अपना फोटो हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान सहित अटैच करना होगा। इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो व हस्ताक्षर के प्रारूप हेतु Link दिखाई देगा । Link को क्लिक करने पर फोटो व हस्ताक्षर के फार्मेट का प्रिन्ट लेकर यथास्थान पर अंगूठे का निशान, फोटो तथा हस्ताक्षर करें। तत्पश्चात् फार्मेट को स्केन पर jpg फार्मेट में ही सेव करें। अब आवेदक Browse बटन क्लिक करें। इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में अपना फोटो हस्ताक्षर व अंगूठे का निशान स्केन कर सेव किया है। उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें।

1.5.2.3 आवेदक फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे पुनः अच्छी तरह पढ़कर यह सुनिश्चित करें कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो उसे ठीक कर लें। इसके उपरांत ही submit बटन दबाये। इससे आवेदक को एक आवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा । इसके उपरांत आवेदक पोर्टल शुल्क के भुगतान के लिए proceed to payment बटन दबाएगा तो उसे पोर्टल शुल्क भुगतान हेतु दो आप्शन (विकल्प)दिखाई देंगे :–

1. क्रेडिट कार्ड।
2. इंटरनेट बैंकिंग।

1.5.2.4 क्रेडिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतानः– आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। फार्म भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान करने के लिये proceed to payment बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एस.बी.आई.) का पेमेन्ट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कन्फर्म बटन दबाकर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को पोर्टल शुल्क भुगतान प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्राप्त होगी। जिस उसकी ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी भी अंकित होगी आवेदक इस रसीद को संभालकर रखा जाना होगा ।

1.5.2.5 इंटरनेट बैकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :– आवेदक चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर पोर्टल शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैकिंग के माध्यम से कर सकता है। इसके लिये आवेदक के पास स्टेट बैक ऑफ इंडिया, स्टेट बैक ऑफ इंदौर अथवा यूनियन बैक ऑफ इंडिया की बैंकिंग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक फार्म भरने के उपरांत "proceed to payment" बटन को दबाएगा। उसे इंटरनेट बैकिंग आप्शन दिखाई देगा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. पासवर्ड का उपयोग कर शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् आवेदक को स्क्रीन पर पावती नंबर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिन्ट लेकर संभाल कर रखें ।

1.5.3 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :– आवेदक आवेदन फार्म भरने के लिए अपने नजदीकी एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर जावेगा। कियोस्क धारक www.mponline.gov.in वेबसाईट ओपन कर अपना यूजर आई.डी. और पासवर्ड डालकर लागिंन टाईप में कियोस्क सिलेक्ट पर लागिंन करेगा। इसके उपरांत सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में सर्वप्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारियां आवेदक को उपलब्ध कराएगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ लें ताकि मांगी गई समस्त जानकारियां फार्म में सही भरी जा सकें। इसके उपरांत आवेदक कियोस्क धारक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना पासपोर्ट साईज का फोटो अवश्य ले जावें। कियोस्क आवेदक का फोटो एवं हस्ताक्षर स्केन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदक सभी जानकारियां सही–सही भरी होने के उपरांत ही

कियोस्क धारक को proceed to payment बटन दबाकर पोर्टल शुल्क का भुगतान करने को कहे। आवेदक कियोस्क संचालक को पोर्टल शुल्क नगद भुगतान करेगा। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर दो पृष्ठीय कम्प्यूटराईज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में पोर्टल शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी। साथ ही भरे गये आवेदन की प्रति भी उपलब्ध कराएगा। आवेदक इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें और तथा अपने पास संभालकर रखें। यदि प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्र में किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान कर सकता है ।

1.5.3.1 जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

1.5.3.2 यदि आवेदक के पास क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो भरे गये फार्म का कियोस्क के माध्यम से unpaid Application के माध्यम से लिंक पोर्टल शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है।

1.5.3.3 आवेदक को ऑनलाईन आवेदन पत्र तथा उसकी पावती पृष्ठ की प्रति भविष्य के लिये संभालकर रखा जाना होगा ।

नोटः– ऑनलाईन फार्म भरने में किसी भी समस्या के लिये mp online के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष नंबरों पर संपर्क करें : 0755-4019401 से 4019406

1.6 ऑनलाईन आवेदन पत्र की जानकारी में संशोधनः–

ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगीः–

1.6.1 ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् अगले दिन से 10 दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा। यह सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन–पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

1.6.2 संशोधन हेतु निर्धारित 10 दिन की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क रू.100/–एवं पोर्टल शुल्क रू. 50/– का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। इस प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्तजन का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/निःशक्तजन के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी। परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु. जनजाति/निःशक्तजन श्रेणी से अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

1.6.3 इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को अन्य प्रविष्टियों सहित फोटो, हस्ताक्षर व अंगुठा निशानी में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी। संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा एप्लीकेशन फार्म नंबर, ट्रांजेशन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। एप्लीकेशन फार्म नंबर, ट्रांजेशन आई.डी.

नंबर, व्यापम फार्म नंबर, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

1.6.4 संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नही किया जायेगा।

1.7 स्क्रूटनी/ऑनलाईन आवेदन–पत्र का निरस्तीकरण :–

आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर की स्क्रूटनी की जायेगी। जिन आवेदको द्वारा नियम पुस्तिका में उल्लेखित फोटो एंव हस्ताक्षर के निर्धारित मापदंड के अनुरूप फोटो/हस्ताक्षर उपलब्ध नही करवाये जाते है, फोटो अनुपलब्ध है, हस्ताक्षर अनुपलब्ध है, ऐसे प्रकरणों को स्क्रूटनी उपरांत निरस्त किया जायेगा तथा ऐसे आवेदकों को टेस्ट एडमिट कार्ड जारी नही किये जायेगे। आवेदन पत्र निरस्त की सूचना मण्डल की बेवसाईट पर उपलब्ध होगी। एक बार आवेदन पत्र निरस्त होने के उपरांत किसी भी स्थिति में मान्य नही किया जावेगा।

1.8 परीक्षा प्रवेश–पत्र (Test Admit Card) :-

मण्डल द्वारा नियमानुसार मान्य आवेदन–पत्र के अभ्यर्थियों को ऑनलाईन प्रवेश–पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराए जायेंगे। अभ्यर्थियों को प्रवेष–पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

प्रवेश–पत्र प्राप्त करने की प्रक्रियाः– अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग करते हुए प्रवेश–पत्र उक्त वेबसाईट से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मुद्रित किए हुए प्रवेष–पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

नोट– प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाइन आवेदन–पत्र को रद्द/निरस्त/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

1.9 परीक्षा शहर व परीक्षा समय :– यह परीक्षा निम्नलिखित शहरों में आयोजित की जायेगी

1. बालाघाट	2. बैतूल	3. भोपाल	4. इन्दौर	5. जबलपुर	6. छतरपुर
7. देवास	8. खण्डवा	9. खरगोन	10. रतलाम	11. ग्वालियर	12. होशंगाबाद
13. सतना	14. कटनी	15. शहडोल	16. टीकमगढ़	17. रीवा	18. उज्जैन
19. बुरहानपुर	20. सीधी	21. छिंदवाड़ा	22. सागर	23. विदिशा	

अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर उसे परिवर्तित/निरस्त करने का अधिकार मण्डल सुरक्षित रखता है। लिखित परीक्षा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में प्रातः 10:00 से दोपहर 01:15 बजे तक आयोजित की जायेगी। परीक्षा केन्द्र की जानकारी प्रवेश–पत्र पर अंकित होगी।

1.10 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवष्यक सामग्री :–

केवल प्रवेश–पत्र एवं काला बॉलप्वाइंट पेन।

1.11 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात् Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales आदि पूर्णतः वर्जित है।

1.12 अनुचित साधन (Unfair Means, UFM) :–

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :– निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :–

(क) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
(ख) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।

(ग) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
(घ) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
(ड.) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
(च) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला–बदली करना।
(छ) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।
(ज) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
(झ) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
(ञ) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
(ट) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।

उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौपा जायेगा और उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एंव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा ।

विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

1.13 परीक्षा पद्धति :–

इस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 150 प्रश्नों एक प्रश्न–पत्र होगा, प्रश्न पत्र में भौतिकी एवं रसायन शास्त्र विषय के 50–50 प्रश्न तथा गणित विषय के 50 प्रश्न होंगे। जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/ विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उसमें संबंधित गोले को ओ. एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा। उत्तरशीट की समस्त प्रविष्टियॉ भी काले बॉल प्वाइंट पेन से करना होगी।

1.14 पाठ्यक्रम :–

पी.पी.टी. परीक्षा का विषयवार पाठ्यक्रम नियम पुस्तिका के अध्याय–4 में दर्शाया गया है।

1.15 मूल्यांकन पद्धति :–

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

1.16 त्रुटिपूर्ण प्रश्न, प्रश्नों का निरस्तीकरण एवं बदले में प्रदान किये जाने वाले अंक :–

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :–

1. प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
2. प्रश्न की संरचना गलत हो।
3. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
4. कोई भी विकल्प सही न हो।
5. यदि प्रश्न–पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
6. कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
7. अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।

प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न–पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \text{ X } 200}{(200-2)} = 90.91 \text{ rounded off to } 91.00$$

नोट :– सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

1.17 प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन :–
प्रश्न–पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रोफार्मा प्रारूप–15 (प्रश्न पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन) में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरांत एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

1.18 मॉडल आंसर्स के संबंध में अभ्यावेदन/फायनल आंसर्स :–

(1) मॉडल आंसर्स :– परीक्षा के सफल आयोजन के 01 दिन उपरांत प्रश्न पत्र में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर मॉडल उत्तर (Model Answers) के रूप में मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्षित किया जायेगा। मॉडल आंसर में किसी भी प्रकार के त्रुटिपूर्ण उत्तरों के संबंध में परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियां निर्धारित प्रारूप–16 (मॉडल उत्तर के संबंध में अभ्यावेदन) में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा उपरांत मॉडल आंसर्स मंडल की वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि से 01 सप्ताह के भीतर मंडल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी।

(2) फायनल आंसर्स :– प्रारूप 15 में प्रश्न पुस्तिका के त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों तथा प्रारूप 16 में मंडल द्वारा प्रदर्शित माडल उत्तरों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को ''की'' समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। ''की'' समिति द्वारा सभी अभ्यावेदनों सें संबंधित प्रश्नों/उत्तरो के पूर्ण परीक्षण उपरांत निराकृत

करने के पश्चात् फायनल आंसर्स (Final Answers) तैयार किये जायेगे, इस प्रक्रिया में बिन्दु क्रमांक 1.15 अनुसार ''की'' समिति द्वारा प्रश्नों को निरस्त भी किया जा सकेगा। समिति द्वारा उन प्रश्नों/उत्तरो के संबंध में कोई विचार नही किया जायेगा जिन पर अभ्यावेदन प्राप्त नही हुए है। इस प्रकार तैयार फायनल आंसर्स (Final Answers) के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये फायनल आंसर्स (Final Answers) परिणाम उपरांत मण्डल की बेवसाईट पर उपलब्ध रहेगे। ''की'' समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा सभी आवेदकों के लिये बंधनकारी होगा।

1.19 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :–

अध्याय–1 2 से 3 में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगा। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ–साथ आदर्श उत्तर (Model Answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

1.20 अंक सूची की उपलब्धता :

परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी अपने रोल नंबर के आधार पर उल्लेखित वेबसाईट से अंकसूची प्राप्त/मुद्रित कर सकते हैं। मण्डल द्वारा डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा तथा डुप्लीकेट अंकसूची प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है।

1.21 लिखित परीक्षा में निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ :–

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ–8–2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :–

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :–

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण–पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण–पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :–

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :–

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट

1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 30 मिनट

(स) लेखन लिपिक की नियुक्ति हेतु शर्तें :–

1. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।

2. लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ–पत्र सहित संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्र अधीक्षक को अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाकर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगी।

(द) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :–

1. परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएँ मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए मण्डल द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा।

2. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

1.22 मण्डल का क्षेत्राधिकार :–

म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल का कार्य प्रवेश परीक्षा का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा। परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

1.23 अभिलेखों का संधारण :–

मण्डल द्वारा परीक्षा आयोजन उपरांत अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह तक परीक्षा से संबंधित अभिलेखों का संधारण किया जायेगा। इसके पश्चात् परीक्षा से संबंधित समस्त अभिलेखों/दस्तावेजों को रद्दी घोषित व नष्ट कर दिए जायेंगे।

1.24 न्यायिक क्षेत्राधिकार :–

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

1.25 हेल्पलाईन नंबर :–

परीक्षा से संबंधित पूर्ण विवरण एवं नियम www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है। परीक्षा निर्देशों से संबंधित कोई भी शंका होने पर आवेदक mp online के Helpdesk के No. 0755-4019401, 4019402, 4019403, 4019404, 4019405, 4019406 पर कार्यालयीन समय पर संपर्क कर सकता है।

———0———

अध्याय–2

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में सत्र 2013–2014 के लिये प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के सत्र 2013–2014 में प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु जारी किये गये प्रवेश नियम निम्नानुसार है :–

2.1 सामान्य :

ये नियम मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा शासकीय एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम कहलायेंगे ।

2.2 परिभाषायें :

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः –

1. श्रेणीः का तात्पर्य है इन चार श्रेणी में से एक उदा. अनारक्षित (UR) अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC)
2. व्यापम : का तात्पर्य है व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. सक्षम प्राधिकारी (स.प्रा.) का तात्पर्य है जिसको मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है.
4. प्राचार्यः का तात्पर्य है संस्था प्रमुख.
5. मध्यप्रदेश (म.प्र.) का तात्पर्य है म.प्र. राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया.
6. अ.भा.त.शि.प. : का तात्पर्य है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली.
7. ''संयुक्त प्रवेश परीक्षा'' से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अर्थात् प्री–पोलीटेक्निक टेस्ट;
8. ''व्यावसायिक संस्थान'' से अभिप्रेत है ऐसी संस्थायें जो इंजीनियरिंग, टेक्नालॉजी, फार्मेसी तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को संधारित करती है;
9. संचालक का तात्पर्य है संचालक तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल.
10. कुलपति का तात्पर्य है कुलपति राजीव गांधी प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल.

11. वर्ग का तात्पर्य है इन चारों वर्गों में एक उदा0 सैनिक (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF), विकलांग (H), बिना वर्ग (X).
12. ''OP'' सीटों से अभिप्रेत है महिला या पुरूष अभ्यर्थी.
13. ''F" सीटों से अभिप्रेत है महिला अभ्यर्थी.
14. ''शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों'' से तात्पर्य ऐसी सीटों से है जिसके सम्बन्ध में एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित समस्त संस्थाओं में उनकी स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य (Supernumerary) रहेंगें, प्रवेश केवल मध्यप्रदेश के मूल–निवासी अभ्यर्थियों को जिनके परिवार की समस्त स्त्रोतो से कुल वार्षिक आय 4.5 लाख रूपये से कम है, दिया जावेगा।

2.3 लागू होनाः– ये नियम मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा शासकीय एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम कहलायेंगे ।

2.4 प्रवेश नियमः–

समस्त संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी–

2.41 <u>स्थानों की उपलब्धता</u>

संस्थाओं में उपलब्ध सीटें :–

स.क्र.	संस्था का प्रकार	प्रवेश क्षमता का प्रतिशत सत्र 2013–14 के लिये
1	मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय	95 प्रतिशत मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये सीटें 5 प्रतिशत अनिवासी भारतीय सीटें (अनिवासी भारतीय सीटें रिक्त रहने पर म.प्र. सीटों में परिवर्तित)

(क) विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अद्यतन जानकारी परामर्श (Counselling) संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट www.dtempcounselling.org/www.mptechedu.org पर उपलब्ध कराई जावेगी।

(ख) यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्था में स्थानों की संख्या को परिवर्तित किया जाता है या विद्यमान संस्था में दूसरी पारी (सेकण्ड शिफ्ट) प्रारंभ करने की अनुज्ञा उस वर्ष की 30 जून या उसके पहले समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे उस वर्ष के परामर्श (काउंसलिंग) में समाविष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते कि संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो तथापि विद्यमान संस्थाओं की स्वीकृत स्थानों की संख्या में परिवर्तन होने की दशाा में, उसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय से पुनः सम्बद्धता प्राप्त करने की शर्त लागू नहीं होगी ।

2.4.2 स्थानों का आवंटन/आरक्षण

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणियों के लिए क्रमशः 16, 20 तथा 14 प्रतिशत सीटों का आरक्षण रहेगा।

टिप्पणी :

(अ) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(ब) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारुप में परामर्श (Counselling) के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(क) मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी :–

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारुप 2(अ) अथवा 2(ब) में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ–7–2/96/अ.प्र./एक, दिनांक 01 अगस्त, 1996 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)

(ख) मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) श्रेणी :–

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिये गए निर्धारित प्रारुप 3(अ) अथवा 3(ब) में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र 30 अप्रैल 2010 के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो को परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा । (देखें मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ–7–2/96/ आ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ–7–16–2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06.07.2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश)

(ग) जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग (J & K Migrants Seats) हेतु स्थानों का आरक्षण :

समस्त शासकीय/स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के प्रत्येक संकाय (ब्रांच) में स्वीकृत प्रवेश क्षमता की एक सीट कश्मीरी विस्थापित परिवार के पुत्र/पुत्रियों के लिए आरक्षित रहेगी । शासन द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थानों में एक–एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त अधिसंख्या के (over and above) आधार पर उपलब्ध है। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को निर्धारित प्रारुप–12 में जम्मू एवं काश्मीर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

इसी वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश सेवा के ऐसे अधिकारियों एंव कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं काश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एंव काश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप– 13 में प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।

(ड.) एन.सी.सी. "बी" श्रेणी प्रमाण पत्र उत्तीर्ण उम्मीदवारों हेतु आरक्षण :–

मध्यप्रदेश के एन.सी.सी. के "बी" श्रेणी प्रमाण पत्र उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए शासकीय/ अनुदान प्राप्त पोलीटेकनीक महाविद्यालयों में दो प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

(घ) शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीट (Tution Fee Waiver Scheme):-

ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा शासित समस्त संस्थाओं में तीन/चार वर्षीय, डिग्री, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क में छूट की योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी जिसमें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य रूप से उपलब्ध होंगे। ऐसे अभ्यर्थी, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 4.5 लाख रूपये से कम है, इन स्थानों के लिए प्रवेश हेतु पात्र होंगे। शिक्षण शुल्क में छूट की योजना के अंतर्गत रियायत केवल शिक्षण शुल्क की राशि जैसा कि प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित की गई हो, तक सीमित होगी और शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थियों व्दारा वहन किए जाएंगे। इस श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर, ये स्थान अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरे जाऐंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। इन स्थानों के लिए परामर्श (काउंसलिंग) एवं प्रवेश प्रक्रिया उसी प्रकार से होगी, जैसी कि नियमित प्रवेश के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाए। इस योजना के अधीन केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे।

(ढ़) क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) :

अ) शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों एंव अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत सैनिक तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के उम्मीदवारों के लिये क्रमशः 5 व 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा ।

सैनिक वर्ग (S) :–

सैनिक वर्ग में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत् प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी हैं जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकंलाग हो गये हो। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि, वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है । भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता हैं । भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण –पत्र इस नियम पुस्तिका के अध्याय –4 में दिये गये निर्धारित प्रारूप–4 भाग 'अ' में तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण–पत्र प्रारूप –4 भाग ''ब'' में, संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व का पदनाम सचिव जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे ।

अथवा

वह मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी है (प्रमाण पत्र प्रारूप –5 में) एंव उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण–पत्र प्रारूप–8 में प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार को दोनों प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हैं ।

अथवा

वह 1 जनवरी 2013 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का /की पुत्र/पुत्री है (प्रमाण पत्र प्रारूप– 5 में)।

टिप्पणीः सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग (FF) :

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उन पुत्रों/पुत्रियों एवं पौत्रों/पौत्रियों/नातियों/नातिनों को प्रवेश की पात्रता होगी जो नियम पुस्तिका के अनुसार मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी होने की शर्त पूर्ण करते हैं । इस नियम के प्रयोजन के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य यह है कि उसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्ट्रेट में रखी हुई सूची में पंजीकृत हैं।

टिप्पणीः स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को मध्यप्रदेश के संबंधित जिले कलेक्टर से प्रारूप–6 मे प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। केवल कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र ही उम्मीदवार का इस वर्ग का होने संबंधी एक मात्र वैध प्रमाण पत्र होगा ।

बिना वर्ग (Nil Class) (X) :

जो उम्मीदवार उपरोक्त वर्गों में से किसी भी एक वर्ग के अंतर्गत प्रवेश का उम्मीदवार नहीं होगा, उसे उसकी संबंधित श्रेणी के अंतर्गत "बिना वर्ग" (X) का उम्मीदवार माना जावेगा।

(ब) महिला (Female) उम्मीदवारों हेतु आरक्षण

स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में समस्त सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेगी परन्तु सह शिक्षा पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में महिला उम्मीदवारों हेतु प्रत्येक श्रेणी एंव वर्ग के अंतर्गत 30 प्रतिशत सीटों का ''कम्पार्टमेंटलाइज्ड'' क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध होगा।

महिला उम्मीदवारों के लिये आरक्षण यथासंभव संस्थावार एवं ब्रांचवार होगा। महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में सिर्फ महिला उम्मीदवार को ही पात्रता होगी, किन्तु मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना क्रं. /एफ–5–5/2007/42/1, दिनांक 10.2.2009 द्वारा राज्य की शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा, होशंगाबाद, खरगौन, बुरहानपुर, सागर, पन्ना नरसिंहपुर एवं भिण्ड को सहशिक्षा में परिवर्तित किया गया है। तथा यह निर्णय लिया गया है कि समस्त पात्र महिला उम्मीदवारों को प्रवेश देने के उपरान्त यदि कोई स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें पुरूष उम्मीदवारों से भरा जावेगा।

किसी भी श्रेणी के अंतर्गत किसी वर्ग में महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उस वर्ग की पात्रता के पुरूष उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा, किन्तु महिलाओं के लिये आरक्षित स्थान अन्य श्रेणी/वर्ग में समायोजित नहीं किये जावेगें ।

(स) विकलांग उम्मीदवारों (Physically Handicapped Candidates) हेतु आरक्षण :

40 एवं अधिक प्रतिशत विकलांगता वाले विकलांग उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की शर्त को पूर्ण करते हों, के लिए ब्रांचवार प्रवेश क्षमता में 3 प्रतिशत सीटों का क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण समस्त श्रेणियों यथा अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) में उपलब्ध रहेगा।

टिप्पणी :–

1. यदि क्षैतिजीय आरक्षण के विरूद्व विकलांग उम्मीदवार के अनुपलब्ध होने पर सीट रिक्त रहती है तो ऐसी सीटों को उसी श्रेणी के Nil वर्ग (बिना वर्ग, X) में परिवर्तन किया जा सकेगा।

2. इन सीटों के विरूद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को निम्नांकित दोनों प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से काउंसिलिंग के दौरान ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा–

(अ) जिला चिकित्सा मंडल द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र; तथा

(ब) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (Superintendent, Vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Govt. of India, Ministry of Labour) नेपियर टाउन, जबलपुर द्वारा जारी पाठ्यक्रम पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होंगे।

(ण) मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तथा गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्रियों को अतिरिक्त सुविधाः–

यदि किसी श्रेणी की योग्यताक्रम (मेरिट) सूची के ऐसे उम्मीदवार, जो मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अथवा गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के

पुत्र/पुत्री हों, तथा किसी संस्था विशेष में प्रवेश लेने के इच्छुक हों, तो उन्हें काउंसिलिंग प्रक्रिया में उनके वर्तमान निवास स्थान के राजस्व संभाग में स्थित मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा शासकीय एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों का आवंटन किया जा सकेगा परंतु उन्हें ब्रांच का आवंटन प्रवेशित संस्था में उनकी मेरिट के आधार पर किया जावेगा। इन उम्मीदवारों के लिये इस प्रकार इच्छित संस्था का चुनाव मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा शासकीय एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में पूरी स्वीकृत प्रवेश क्षमता तक उपलब्ध रहेगा। ऐसे उम्मीदवारों को उनके वर्तमान निवास स्थान के राजस्व संभाग के अतिरिक्त अन्य स्थानों में स्थित संस्थाओं में उपरोक्त सुविधा का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

टिप्पणी : "गरीबी रेखा" के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्रियों को इस आशय का प्रमाण–पत्र कि उनके पिता/माता गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को अपने पिता/माता के नियोक्ता से इस आशय का प्रमाण पत्र कि उनके पिता/माता राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, प्राप्त कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(त) एन.आर.आई. (NRI) सीटें :

समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम दिनांक ''प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011'' दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

(थ) स्थानीय (जिला एवं संभाग) स्तर पर आरक्षण:
संभाग के शासकीय/अनुदान प्राप्त पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में उस संभाग के मूल निवासियों के लिए प्रवेश में 10 प्रतिशत स्थान तथा जिले के शासकीय/अनुदान प्राप्त पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में उस जिले के मूल निवासियों के लिए प्रवेश में 25 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण रहेगा।

2.4.3 प्रवेश हेतु पात्रता :

1) जो भारत का नागरिक हो

2) शैक्षणिक अर्हता

सभी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष मे प्रवेश हेतु उम्मीदवार का निम्नालिखित में से कोई भी एक परीक्षा विज्ञान (भौतिकी एंव रसायन) तथा गणित मुख्य विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है:–

माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) प्रणाली की दसवीं कक्षा की परीक्षा/SSC परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 35 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा

नोटः–

1. ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होगें जिन्होनें अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी तथापि उपरोक्तानुसार न्यूनतम प्रतिशत का बंधन लागू होगा ।
2. पीपीटी–2013 की प्रवेश परीक्षा में ऐसे समस्त उम्मीदवार जो अर्हकारी परीक्षा में सत्र 2012–13 में सम्मिलित हो रहे है, भाग ले सकते है परंतु उन्हें परामर्श के समय अर्हकारी परीक्षा की मूल अंक सूची प्रस्तुत करना होगी।
3. ऐसे उम्मीदवार जिनकी अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित है, अंकसूची में दिये परिवर्तन सूत्र अनुसार ग्रेड को अंकों में परिवर्तित करना होगा।

3) मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें (M.P. Domicile Requirements)

शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों/अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों की सभी सीटों में प्रवेश हेतु चयन के लिये केवल ऐसे उम्मीदवार (सैनिक वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों तथा जम्मू–काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग के उम्मीदवारों को छोड़कर) को पात्रता होगी :

1. जो भारत का नागरिक हो।

2. (क) जिसने वर्ष 2008 से वर्ष 2013 तक के पांच वर्षों की अवधि में मध्यप्रदेश में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षों तक अध्ययन किया हो। (प्रमाण पत्र प्रारुप–7 में) ,

अथवा

(ख) मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी संबंधी प्रमाण–पत्र (प्रारुप–8 के अनुसार) संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी करने की तिथि व कार्यालय की सील तथा जारी करने वाले अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

अथवा

(ग) जो निम्नलिखित का पुत्र/पुत्री हो :–

(1) मध्यप्रदेश शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश शासन की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी (प्रमाण पत्र प्रारुप–9 में),

अथवा

(2) केंद्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकतार, टेलीफोन तथा रेलवे विभाग के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो 1 जनवरी 2013 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ हो। (प्रमाण पत्र प्रारुप–10 में),

अथवा

(3) ऐसा व्यक्ति जो केंद्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में स्थाई रूप से बस गया हो। (प्रमाण पत्र प्रारुप–11 में),

स्पष्टीकरण–1 अभिभावक :–

किसी भी उम्मीदवार के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दंडाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/ नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार के पिता जीवित न हों परंतु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण–2 दत्तक पुत्र/पुत्री :

यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहता हैं तो उसे दत्तक पुत्र/पुत्री होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिए आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा हो, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक कि उसकी पुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च/ माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/बी.एस.सी. भाग एक अथवा गत पांच वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये ऊपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में यह आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहे हों। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा उन्हें किसी अनुसूचित जाति, अथवा जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो, ऐसे आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होगें।

2.4.4 प्रवेश की रीति

राज्य या केन्द्रीय सरकार व्दारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकरण व्दारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से। प्राधिकृत अभिकरण सामान्य प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों व्दारा प्राप्त अंकों के आधार पर गुणागुण/प्रतीक्षा सूची तैयार करेगा तथा अधिसूचित करेगा।

राज्य शासन द्वारा अधिकृत मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली पीपीटी–2013 प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेगें।

2.5 प्रवेश की प्रक्रिया

2.5.1 *ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया (Online Off Campus Admission Procedure):*

राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग की प्रवेश प्रक्रिया मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित प्रवेश नियम 2008 (यथा संशोधित) के अनुसार रहेगी।

2.5.2 *अनिवासी भारतीयों के स्थानों के विरूद्ध प्रवेश की प्रक्रियाः–*

2.5.2.1 समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम ''प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011'' दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे ।

2.5.2.2 अनिवासी भारतीय के रिक्त स्थानों का संपरिवर्तन – अनिवासी भारतीयों के रिक्त स्थान, जैसा कि अनिवासी भारतीय के न भरे गये स्थानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्य स्थानों में संविलीन कर दिए जाएंगे तथा इन स्थानों की पूर्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा, मध्यप्रदेश के मूलनिवासियों के स्थानों की प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

2.6 प्रवेश हेतु चयन पद्धति :

2.6.1 पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिये व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा विज्ञान (भौतिकी एंव रसायन) तथा गणित विषयों में प्रवेश परीक्षा एक प्रश्न पत्र में पी.पी.टी. 2013 आयोजित की जावेगी। प्रश्न पत्र में भौतिकी एवं रसायन शास्त्र विषय के 50–50 प्रश्न तथा गणित विषय के 50 प्रश्न होंगे। इस प्रकार प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे।

2.6.2 प्रवेश परीक्षा (पी.पी.टी.) अंकों में अधिभार

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं का व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित पी.पी.टी.–2013 प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित प्रारुप 14 में

प्रमाण–पत्र संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, म0प्र0 शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

2.6.3 योग्यता क्रम सूचियां

2.6.3.1 उम्मीदवारों द्वारा पी..पी.टी. –2013 में प्राप्तांकों के आधार पर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा एकीकृत योग्यता क्रम सूचियॉ (Common Merit Lists), के साथ–साथ अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमिलियर को छोड़कर) (OBC) श्रेणियों/वर्गवार अलग–अलग योग्यता क्रम सूचियां तैयार की जावेगी। डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में इन योग्यता क्रम सूचियों से प्रवेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित परामर्श (Counselling) के माध्यम से किये जावेंगे।

2.6.3.2 समान कुल अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit)

पी.पी.टी. 2013 परीक्षा में समान कुल अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit) विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर निश्चित की जाएगी –

समान अंक प्राप्त होने पर गणित विषय में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा ।

टिप्पणी:–

1. गणित विषय में भी समान अंक होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा ।
2. 2.6.2 के अंतर्गत ऐसे उम्मीदवार को जो 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं, मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त उस उम्मीदवार से नीचे रखा जाएगा जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है ।

2.6.4 प्रवेश प्रक्रिया की सामान्य जानकारी :

2.6.4.1 मध्यप्रदेश के मूल निवासी की सीटों, शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों, जम्मू कश्मीर विस्थापित सीटों के लिये प्रवेश केवल PPT- 2013 की प्रवेश परीक्षा के आधार पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल द्वारा तैयार की गई योग्यताक्रम सूचियों के अनुसार दिये जा सकेंगे।

2.6.4.2 शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीटों पर प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों को व्यापम द्वारा तैयार की गई योग्यता क्रम सूची के आधार पर ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रवेश दिया जावेगा।

2.6.4.3 समस्त प्रवेश काउंसिलिंग के माध्यम से किये जावेंगे। काउंसिलिंग का कार्यक्रम विभिन्न समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया जावेगा। काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी/संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाइट www.dtempcounselling.org /www.mptechedu.org पर उपलब्ध रहेगा। इसके लिये उम्मीदवारों को अलग से कोई भी कॉल लेटर नहीं भेजा जावेगा।

2.6.4.4 मूल प्रमाण–पत्र

काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण–पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। तत्पश्चात् उम्मीदवारों को उनके मूल प्रमाण–पत्र वापिस कर दिये जायेगें।उम्मीदवारों को मूल प्रमाण–पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं कराना है।

2.6.4.5 काउंसिलिंग प्रक्रिया द्वारा प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात् मध्यप्रदेश राज्य शासन अपना यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों अथवा अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों की सीटों के विरूद्ध प्रवेशित किसी भी छात्र/छात्रा को एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरित करें, चाहें उसके मेरिट अंक कुछ भी हों। ऐसे प्रकरण किसी भी परिस्थिति में प्रत्येक पोलीटेकनिक महाविद्यालय में दस सीटों से अधिक नहीं होंगे तथा इस प्रकार स्थानांतरित छात्र/छात्रा को इंजीनियरिंग की वहीं ब्रांच मिलेगी जिसमें उसने काउंसिलिंग के माध्यम से पूर्व में प्रवेश लिया होगा ।

2.6.4.6 कुलाधिपति द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

2.7 प्रवेश का क्रम :–

2.7.1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसिलिंग) से उन संस्थाओं के स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे जिन्होंने समुचित प्राधिकारी से इसके लिए अनुज्ञा प्राप्त कर ली है। यह स्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया तथा कार्यक्रम के अनुसार भरे जाएंगे तथा कोई स्थान रिक्त रहने की दशा में यह स्थान *मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये उपलब्ध सीटों* सम्मिलित किए जाकर केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसलिंग) से भरे जाएंगे।

2.7.2 *मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये उपलब्ध सीटों* के पहले दौर की परामर्श (काउंसिलिंग) में, आरक्षित प्रवर्ग के प्रथम अभ्यर्थी को निम्नलिखित क्रम से बुलाया जायेगा, ताकि रिक्त आरक्षित स्थान पारस्परिक रूप से परिवर्तित किए जा सकें:– अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति.

2.7.3 आरक्षित प्रवर्गो के परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने के पश्चात्, उपरोक्त क्रमानुसार, रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित स्थानों में संविलीन किए जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों के लिये परामर्श (काउंसलिंग) प्रारंभ की जाएगी.

आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी है को, अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा। उन्हें आरक्षित श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से, उनकी पसंद की प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी.

2.7.4 यदि सामान्य प्रवेश परीक्षा की योग्यता क्रम के आधार पर पहले दौर की परामर्श (काउंसलिंग) के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिये रिक्त स्थानों की संख्या एवं प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए द्वितीय दौर की परामर्श (काउंसलिंग), प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांको के आधार एवं/अथवा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर, उन्हें पृथक–पृथक अथवा साथ–साथ आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परामर्श (काउंसलिंग) में उपलब्ध समस्त स्थान अनारक्षित श्रेणी में होंगे एवं जिसके लिये समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर आवंटन होगा .

परामर्श (काउंसलिंग) के उपर्युक्त दौर के पश्चात् यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थान, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में महाविद्यालय स्तर पर भरे जाएंगे जिसमें ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जो प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए हों । महाविद्यालय स्तर की परामर्श (काउंसलिंग) हेतु प्रत्येक महाविद्यालय के लिए निर्धारित तिथियां, रिक्तियां, अधिकृत प्रतिनिधि की जानकारी सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। इस परामर्श (काउंसलिंग) से प्रवेशित अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी की प्रविष्टि, सक्षम प्राधिकारी के अधिकृत प्रतिनिधि के साथ संबंधित महाविद्यालय द्वारा परामर्श (काउंसलिंग) की वेबसाइट पर परामर्श (काउंसलिंग) की तिथि पर ही करना अनिवार्य है।

सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से परामर्श (काउंसलिंग) की सूची के अंतिम अभ्यर्थी को अवसर देने के पश्चात् यदि अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परामर्श (काउंसलिंग) आयोजित करने का विनिश्चय किया जाता है तो उपलब्ध समस्त स्थान अनारक्षित श्रेणी में अंतर्गत विचार में लिए जाएंगे एवं जिसके लिए समस्त श्रेणी के अभ्यर्थी की एक संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर आवंटन होगा.

2.8 <u>प्रवेश का रद्द किया जाना:–</u>

(1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी व्दारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

(2) *यदि अभ्यर्थी अपना प्रवेश विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा घोषित प्रवेश की अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व तक रद्द करवाता है तो अभ्यर्थी द्वारा संस्था में जमा की गई शुल्क की राशि में से ` 1000/– की कटौती कर, शेष समस्त राशि वापिस कर दी जाएगी । तथापि परामर्श (काउन्सलिंग) फीस वापसी योग्य नहीं होगी । अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क (केवल कॉशन मनी को छोड़कर) वापिस नहीं होंगे।*

(3) रद्दकरण के पश्चात स्थानों की स्थिति :–

प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, अगले चरण की काउंसिलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा.

2.9 शिक्षण तथा अन्य फीस :–

राज्य शासन ने डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विभिन्न संस्थाओं द्वारा उम्मीदवारों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क के आदेश समय–समय पर जारी किए है । प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होगें।

2.10 उम्मीदवारों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर निर्णय लेने में मध्यप्रदेश राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा एवं जिसका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

2.11 मध्यप्रदेश राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

2.12 क्षेत्राधिकार–

किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

प्रवेश नियम की प्रति संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाईट www.dtempcounselling.org / www.mptechedu.org पर उपलब्ध रहेगी।

नोटः– ''आंशिक संशोधन के अध्यधीन (अंतिम रूप से काउंसिलिंग के पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी)''

अध्याय–3

मध्यप्रदेश में स्थित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में सत्र 2013–14 के लिये प्रवेश नियम

मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम–2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) के अंतर्गत दिनांक 15 अप्रैल 2008 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित नियमों के अनुसार सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति तथा स्थानों के आरक्षण के संबंध में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियमः–

3.1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रवेश नियम, 2008 है।

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित 15 अप्रैल, 2008 से प्रवृत्त है एवं संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू है ।

3.2. परिभाषाएंः–

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007);

(ख) ''समुचित प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (क) में यथा परिभाषित प्राधिकारी;

(ग) ''प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति'' से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए तथा प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस के निर्धारण के लिए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार व्दारा गठित समिति;

(घ) ''ए.आई.सी.टी.ई.'' से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम,1987 (1987 का 52) द्वारा स्थापित कानूनी निकाय;

(ड.) ''उपाबंध'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न उपाबंध;

(च) ''सामान्य प्रवेश परीक्षा'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार व्दारा या उसके व्दारा प्राधिकृत किसी अभिकरण व्दारा एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक महाविद्यालयों या संस्थाओं में गुणागुण आधारित प्रवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीकृत परामर्श व्दारा अनुसरित अभ्यर्थियों के गुणागुण के लिए संचालित कोई प्रवेश परीक्षा;

(छ) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार व्दारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी;

(छ–1) "पाठयक्रम" से अभिप्रेत हैं कोई पाठयक्रम जिसकी नाम पद्वति समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं तथा जिसके लिये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्था द्वारा अलग से डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किया जाता हैं (जैसे बी.ई इलेक्ट्रिकल, बी.ई. मैकेनिकल, एमसीए, एमबीए, डी.फार्मा, एमबीबीएस,बीडीएस आदि)''

(ज) ''फीस'' से अभिप्रेत है, शिक्षण फीस सहित समस्त फीस तथा विकास प्रभार;

(झ) ''अनिवासी भारतीय'' का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115–ग के खण्ड (ड.) में उसके लिए दिया गया है;
(ञ) ''प्राचार्य'' से अभिप्रेत है, संस्था का प्रमुख;
(ट) ''सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था'' से अभिप्रेत है, कोई व्यावसायिक शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार से आवर्ती वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो तथा जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय व्दारा स्थापित या पोषित नहीं है;
(ठ) ''व्यावसायिक शिक्षण संस्था'' से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहा कोई महाविद्यालय या कोई स्कूल या कोई संस्थान, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो राज्य के किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो जिसमें राज्य विधान मंडल के अधिनियम व्दारा स्थापित या निगमित कोई निजी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 3) की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय होना समझी गई कोई संघटक इकाई सम्मिलित है, और जो व्यावसायिक शिक्षण को विनियमित करने वाले किसी सक्षम कानूनी निकाय व्दारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त हो;
(ड) ''अर्हकारी परीक्षा'' से अभिप्रेत है, उस न्यूनतम अर्हता की परीक्षा जिसको उत्तीर्ण करने पर कोई अभ्यर्थी इन नियमों में यथाविहित सुसंगत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने हेतु हकदार होता है;
(ढ) ''एकल खिड़की प्रणाली'' से अभिप्रेत है, ऐसी प्रणाली, जिसके व्दारा सभी संस्थाओं में उपलब्ध स्थान, सामान्य केन्द्रीकृत परामर्श (काउन्सलिंग) या विकेन्द्रीकृत ऑनलाईन परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से सामान्य प्रवेश परीक्षा के गुणागुण के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों को प्रस्थापित किए जाते हैं;
(ण) ''व्यापम'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल;
(त) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई हैं, किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।

उपरोक्त के अलावा नियम पुस्तिका में उपयोग किये जाने वाले संक्षिप्ताक्षर निम्नानुसार हैः–

1. ''डी.टी.ई.'' से अभिप्रेत है डायरेक्टर टेक्नीकल एजूकेशन, मध्यप्रदेश;
2. ''रा.गां.प्रौ.वि.'' से अभिप्रेत हैं राजीव गांधी प्रौद्यौगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से है;
3. ''मध्यप्रदेश (म.प्र.)'' से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया हैं;
4. ''शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों'' (TFW) से तात्पर्य ऐसी सीटों से है जिसके सम्बन्ध में एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित समस्त संस्थाओं में उनकी स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य (Supernumerary) रहेंगें, प्रवेश केवल मध्यप्रदेश के मूल–निवासी अभ्यर्थियों को जिनके परिवार की समस्त स्त्रोतो से कुल वार्षिक आय 4.5 लाख रूपये से कम है, दिया जावेगा।
5. "सामान्य पूल" से अभिप्रेत है, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 85 प्रतिशत स्थान, जहां कुल स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से और 10 प्रतिशत स्थान संस्थागत प्राथमिकता की श्रेणी से भरे जा रहे है वहां इसका अर्थ होगा कि प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 95 प्रतिशत स्थान, जहां कुल स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 5 प्रतिशत स्थान केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जा रहे हों और जहां अनिवासी भारतीय तथा संस्थागत प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत कोई प्रवेश नहीं दिए जा रहे हों, वहां

इसका अर्थ होगा, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 100 प्रतिशत स्थान । प्रत्येक संस्था में तथा उसकी प्रत्येक ब्रांच में सामान्य पूल के स्थानों में से 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (अन्य पिछड़े वर्गों की प्रवर्गों के क्रीमीलियर को छोड़कर) के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेगें। अनारक्षित सीटों पर प्रवेश के लिये मध्यप्रदेश के मूल–निवासी की बाध्यता लागू नहीं होगी अर्थात् अनारक्षित सीटों पर मध्यप्रदेश के मूल–निवासियों के साथ–साथ अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा।

3.3. लागू होनाः–

ये नियम ऐसी सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्थाओं (स्ववित्त पोषित) को लागू होंगे, जो इस प्रयोजन के लिए ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा यथा अधिसूचित व्यावसायिक पाठ्यक्रम यथा बी.ई., बी.फार्मा, तथा डी.फार्मा, संचालित कर रही हों।

3.4. प्रवेश नियमः–

समस्त व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

3.4.1 स्थानों की उपलब्धता–

मध्यप्रदेश में विभिन्न संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की संख्या निम्नानुसार हैः–

संस्थाओं के प्रकार	प्रवेश क्षमता की प्रतिशतता
निजी संस्थाए	अ) उन संस्थाओं में जिन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिये और सक्षम प्राधिकारी से संस्थागत प्राथमिकता के अधीन स्थान भरने की अनुज्ञा प्राप्त नही की है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 100 प्रतिशत।
	ब) उन संस्थाओं में, जिन्होनें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 5 प्रतिशत तक अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरने के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, किन्तु जिन्होंने संस्थागत प्राथमिकता प्रवर्ग के अधीन स्थान भरने के लिये आपना विकल्प नहीं दिया है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 95 प्रतिशत (यदि अनिवासी भारतीय स्थान नहीं भरे गए है तो ये स्थान सामान्य पूल के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे)।
	स) उन संस्थाओं में, जिन्होनें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 5 प्रतिशत केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरने के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तथा जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्थागत प्राथमिकता प्रवर्ग के अधीन 10 प्रतिशत तक स्थान भरने के लिये अनुज्ञा मिल गयी है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 85 प्रतिशत (यदि अनिवासी भारतीय वाले स्थान नहीं भरे गए है तो ये स्थान सामान्य पूल के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे) ।

(क) विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अद्यतन जानकारी परामर्श (Counselling) संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट www.dtempcounselling.org/ www.mptechedu.org पर उपलब्ध कराई जावेगी ।

(ख) यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्था में स्थानों की संख्या को परिवर्तित किया जाता है या विद्यमान संस्था में दूसरी पारी (सेकण्ड शिफ्ट) प्रारंभ करने की अनुज्ञा उस वर्ष की 30 जून या उसके पहले समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे उस वर्ष के परामर्श (काउंसलिंग) में समाविष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते कि संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो तथापि विद्यमान संस्थाओं की स्वीकृत स्थानों की संख्या में परिवर्तन होने की दशाा में, उसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय से पुनः सम्बद्धता प्राप्त करने की शर्त लागू नहीं होगी।

3.4.2 स्थानों का आवंटन/आरक्षण–

प्रत्येक संस्था में तथा उसकी प्रत्येक ब्रांच में सामान्य पूल के (कुल अंतर्ग्रहण के 85 प्रतिशत स्थानों में से) 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (अन्य पिछड़े वर्गों की प्रवर्गों के क्रीमीलियर को छोड़कर) के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेगें। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो तो उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में परामर्श के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

टिप्पणी :

(1) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(2) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारुप में परामर्श (Counselling) के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(क) मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी :–

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है,
उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारुप 2(अ) अथवा 2(ब) में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ–7–2/96/अ.प्र./एक, दिनांक 01 अगस्त, 1996 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)

(ख) मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) श्रेणी :–

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिये गए निर्धारित प्रारुप 3(अ) अथवा 3(ब) में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र 30 अप्रैल 2010 के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो को परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा । (देखें मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का

आदेश क्रमांक एफ–7–2/96/ आ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ–7–16–2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06.07.2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश)

(ग) <u>जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग (J & K Migrants Seats) हेतु स्थानों का आरक्षण :</u>

कश्मीरी विस्थापित परिवार के पुत्र/पुत्रियों के लिए निजी क्षेत्र की संस्थानों में एक–एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त अधिसंख्या के (over and above) आधार पर उपलब्ध है। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को निर्धारित प्रारुप–12 में जम्मू एवं काश्मीर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

इसी वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश सेवा के ऐसे अधिकारियों एंव कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं काश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एंव काश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप–13 में प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।

(घ) शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीट (Tution Fee Waiver Scheme):-

ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा शासित समस्त संस्थाओं में तीन/चार वर्षीय, डिग्री, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क में छूट की योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी जिसमें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य रूप से उपलब्ध होंगे। ऐसे अभ्यर्थी, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 4.5 लाख रूपये से कम है, इन स्थानों के लिए प्रवेश हेतु पात्र होंगे। शिक्षण शुल्क में छूट की योजना के अंतर्गत रियायत केवल शिक्षण शुल्क की राशि जैसा कि प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित की गई हो, तक सीमित होगी और शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थियों व्दारा वहन किए जाएंगे। इस श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर, ये स्थान अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरे जाऐंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। इन स्थानों के लिए परामर्श (काउंसलिंग) एवं प्रवेश प्रक्रिया उसी प्रकार से होगी, जैसी कि नियमित प्रवेश के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाए। इस योजना के अधीन केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे.

(ड) एन.आर.आई. (NRI) सीटें:–

समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन

पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम ''प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011'' दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

3.4.3 प्रवेश हेतु पात्रता :

1) जो भारत का नागरिक हो

2) शैक्षणिक अर्हता

सभी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष मे प्रवेश हेतु उम्मीदवार का निम्नालिखित में से कोई भी एक परीक्षा विज्ञान (भौतिकी एंव रसायन) तथा गणित मुख्य विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक हैः–

माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) प्रणाली की दसवीं कक्षा की परीक्षा/SSC परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 35 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा

नोटः–

1. ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होगें जिन्होनें अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी तथापि उपरोक्तानुसार न्यूनतम प्रतिशत का बंधन लागू होगा।
2. पीपीटी–2013 की प्रवेश परीक्षा में ऐसे समस्त उम्मीदवार जो अर्हकारी परीक्षा में सत्र 2012–13 में सम्मिलित हो रहे है, भाग ले सकते है परंतु उन्हें परामर्श के समय अर्हकारी परीक्षा की मूल अंक सूची प्रस्तुत करना होगी ।
3. ऐसे उम्मीदवार जिनकी अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित है, अंकसूची में दिये परिवर्तन सूत्र अनुसार ग्रेड को अंकों में परिवर्तित करना होगा।

3) मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें (M.P. Domicile Requirements)

सामान्य पूल की सीटों जिनपर नियमानुसार मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) आरक्षण का प्रावधान रखा गया है, इन सीटों पर प्रवेश हेतु चयन के लिये पात्रता होगीः–

1. जो भारत का नागरिक हो।

2. (क) जिसने वर्ष 2008 से वर्ष 2013 तक के पांच वर्षों की अवधि में मध्यप्रदेश में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षों तक अध्ययन किया हो। (प्रमाण पत्र प्रारुप –7 में) ,

अथवा

(ख) मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी संबंधी प्रमाण–पत्र (प्रारुप–8 के अनुसार) संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी

किया जाना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी करने की तिथि व कार्यालय की सील तथा जारी करने वाले अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

अथवा

(ग) जो निम्नलिखित का पुत्र/पुत्री हो :–

(1) मध्यप्रदेश शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश शासन की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी (प्रमाण पत्र प्रारुप–9 में),

अथवा

(2) केंद्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकतार, टेलीफोन तथा रेलवे विभाग के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो 1 जनवरी 2013 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ हो। (प्रमाण पत्र प्रारुप–10 में),

अथवा

(3) ऐसा व्यक्ति जो केंद्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में स्थाई रूप से बस गया हो। (प्रमाण पत्र प्रारुप–11 में),

स्पष्टीकरण–1 अभिभावक :–

किसी भी उम्मीदवार के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दंडाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/ नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार के पिता जीवित न हों परंतु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण–2 दत्तक पुत्र/पुत्री :

यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहता हैं तो उसे दत्तक पुत्र/पुत्री होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिए आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा हो, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक कि उसकी पुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/बी.एस.सी. भाग एक अथवा गत पांच वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये ऊपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में यह आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहे हों। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा उन्हें किसी अनुसूचित जाति, अथवा जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो , ऐसे आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होगें।

3.4.4 प्रवेश की रीति

राज्य या केन्द्रीय सरकार व्दारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकरण व्दारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से। प्राधिकृत अभिकरण सामान्य प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों व्दारा प्राप्त अंकों के आधार पर गुणागुण/प्रतीक्षा सूची तैयार करेगा तथा अधिसूचित करेगा।

राज्य शासन द्वारा अधिकृत मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली पीपीटी–2013 प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेगें।

3.5 प्रवेश की प्रक्रिया

3.5.1 *ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया (Online Offcampus Admission Procedure):*

राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियाँ (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग की प्रवेश प्रक्रिया मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित प्रवेश नियम 2008 (यथा संशोधित) के अनुसार रहेगी।

3.5.2 *अनिवासी भारतीयों के स्थानों के विरूद्ध प्रवेश की प्रक्रियाः–*

समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम ''प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011'' दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

3.5.3 अनिवासी भारतीय के रिक्त स्थानों का संपरिवर्तन –

अनिवासी भारतीयों के रिक्त स्थान, जैसा कि अनिवासी भारतीय के न भरे गये स्थानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामान्य पूल के स्थानों में संविलीन कर दिए जाएंगे तथा इन स्थानों की पूर्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा, मध्यप्रदेश के मूलनिवासियों के स्थानों की प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

3.6 प्रवेश हेतु चयन पद्धति :

3.6.1 पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिये व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा विज्ञान (भौतिकी

एंव रसायन) तथा गणित विषयों में प्रवेश परीक्षा एक प्रश्न पत्र में पीपीटी 2013 आयोजित की जावेगी। प्रश्न पत्र में भौतिकी एवं रसायन शास्त्र विषय के 50–50 प्रश्न तथा गणित विषय के 50 प्रश्न होंगे। इस प्रकार प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे।

3.6.2 प्रवेश परीक्षा (पी.पी.टी.) अंकों में अधिभार

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं का व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित पीपीटी–2013 प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित प्रारुप 14 में प्रमाण–पत्र संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, म0प्र0 शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

3.6.3 योग्यता क्रम सूचियां

3.6.3.1 उम्मीदवारों द्वारा पी..पी.टी. –2013 में प्राप्तांकों के आधार पर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा एकीकृत योग्यता क्रम सूचियॉ (Common Merit Lists), के साथ–साथ अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमिलियर को छोड़कर) (OBC) श्रेणीवार/वर्गवार अलग–अलग योग्यता क्रम सूचियां तैयार की जावेगी। डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में इन योग्यता क्रम सूचियों से प्रवेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित परामर्श (Counselling) के माध्यम से किये जावेंगे।

3.6.3.2 समान कुल अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit)

पी.पी.टी. 2013 परीक्षा में समान कुल अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit) विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर निश्चित की जाएगी –

समान अंक प्राप्त होने पर गणित विषय में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा ।

टिप्पणी:–

1. गणित विषय में भी समान अंक होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा ।
2. 3.6.2 के अंतर्गत ऐसे उम्मीदवार को जो 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं, मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त उस उम्मीदवार से नीचे रखा जाएगा जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है ।

3.6.4 प्रवेश प्रक्रिया की सामान्य जानकारी :

3.6.4.1 सामान्य पूल सीटों, शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों, जम्मू कश्मीर विस्थापित सीटों के लिये प्रवेश केवल PPT-2013 की प्रवेश परीक्षा के आधार पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल द्वारा तैयार की गई योग्यताक्रम सूचियों के अनुसार दिये जा सकेंगे

3.6.4.2 शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीटों पर प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों को व्यापम द्वारा तैयार की गई योग्यता क्रम सूची के आधार पर ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रवेश दिया जावेगा।

3.6.4.3 समस्त प्रवेश काउंसिलिंग के माध्यम से किये जावेंगे। काउंसिलिंग का कार्यक्रम विभिन्न समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया जावेगा। काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी/संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाइट www.dtempcounselling.org /www.mptechedu.org पर उपलब्ध रहेगा। इसके लिये उम्मीदवारों को अलग से कोई भी कॉल लेटर नहीं भेजा जावेगा

3.6.4.4 मूल प्रमाण–पत्र

काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण–पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे । तत्पश्चात् उम्मीदवारों को उनके मूल प्रमाण–पत्र वापिस कर दिये जायेगें। उम्मीदवारों को मूल प्रमाण–पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं कराना है ।

3.6.4.5 प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संस्थाओं के अंतरण हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

3.6.4.6 कुलाधिपति द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

3.7 प्रवेश का क्रम :–

3.7.1 सक्षम प्राधिकारी व्दारा केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसिलिग) से उन सस्थाओं के स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे जिन्होंने समुचित प्राधिकारी से इसके लिए अनुज्ञा प्राप्त कर ली है। यह स्थान सक्षम प्राधिकारी व्दारा अधिसूचित प्रक्रिया तथा कार्यक्रम के अनुसार भरे जाएंगे तथा कोई स्थान रिक्त रहने की दशा में यह स्थान समान्य पूल में सम्मिलित किए जाकर केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसलिंग) से भरे जाएंगे।

3.7.2 केवल उन संस्थाओं को, जिन्होंने संस्थागत प्राथमिकता की सीटों के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त आय से स्नातक, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रवेशित समस्त अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क में 10 प्रतिशत छूट प्रदान करने की सहमति दी हो, स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थानों को सर्वप्रथम राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा में क्रमस्थापना (रैंकिंग) के आधार पर योग्यताक्रम में एवं तत्पश्चात् स्थान रिक्त रहने की दशा में अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के योग्यताक्रम में और एआईसीटीई/राज्य शासन द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्ड पूरा करने पर तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार तथा सक्षम प्राधिकारी के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में, संस्था स्तर की परामर्श (काउंसलिंग) के चरण के प्रारंभ होने के पूर्व तक भरने की अनुमति दी जायेगी।

संस्थागत प्राथमिकता की सीटों का एक बार विकल्प का प्रयोग कर लिए जाने के पश्चात् यदि संबंधित संस्था इन स्थानों पर प्रवेश नहीं कर पाती है अथवा इन सीटों पर आंशिक रूप से प्रवेश करती है, तो ये सीटें रिक्त रहेंगी एवं इन्हें परामर्श (काउंसलिंग) के किसी भी चरण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इस प्रवर्ग के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का

अधिकार नहीं होगा। प्रवेश निरस्त कराये जाने के कारण खाली होने वाले स्थान रिक्त रखे जाएंगे। किसी भी स्तर पर, यदि यह पाया जाता है कि किसी संस्था अथवा अभ्यर्थी द्वारा मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है अथवा दिया गया है तो सक्षम प्राधिकारी समस्त ऐसे प्रवेश निरस्त करेगा तथा ये स्थान रिक्त रखे जाएंगें।

3.7.3 सामान्य पूल के परामर्श (काउंसलिंग) में, आरक्षित प्रवर्ग के प्रथम अभ्यर्थी को निम्नलिखित क्रम से बुलाया जायेगा, ताकि रिक्त आरक्षित स्थान पारस्परिक रूप से परिवर्तित किए जा सकें:– अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति.

3.7.4 आरक्षित प्रवर्गो के परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने के पश्चात्, उपरोक्त क्रमानुसार, रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित स्थानों में संविलीन किए जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों के लिये परामर्श (काउंसलिंग) प्रारंभ की जाएगी.

आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी है को, अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा। उन्हें आरक्षित श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से, उनकी पसंद की प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी।

3.7.5 यदि सामान्य प्रवेश परीक्षा की योग्यता क्रम के आधार पर आरक्षित प्रवर्गो के परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने के पश्चात्, उपरोक्त क्रमानुसार, रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित स्थानों में संविलीन किए जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों के लिये परामर्श (काउंसलिंग) प्रारंभ की जाएगी..

आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी है को, अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा। उन्हें आरक्षित श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से, उनकी पसंद की प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी.

परामर्श (काउंसलिंग) के उपर्युक्त दौर के पश्चात् यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थान, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में महाविद्यालय स्तर पर भरे जाएंगे जिसमें ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जो प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए हों । महाविद्यालय स्तर की परामर्श (काउंसलिंग) हेतु प्रत्येक महाविद्यालय के लिए निर्धारित तिथियां, रिक्तियां, अधिकृत प्रतिनिधि की जानकारी सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। इस परामर्श (काउंसलिंग) से प्रवेशित अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी की प्रविष्टि, सक्षम प्राधिकारी के अधिकृत प्रतिनिधि के साथ संबंधित महाविद्यालय द्वारा परामर्श (काउंसलिंग) की वेबसाइट पर परामर्श (काउंसलिंग) की तिथि पर ही करना अनिवार्य है।

सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से परामर्श (काउंसलिंग) की सूची के अंतिम अभ्यर्थी को अवसर देने के पश्चात् यदि अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परामर्श (काउंसलिंग) आयोजित करने का विनिश्चय किया जाता है तो उपलब्ध समस्त स्थान

अनारक्षित श्रेणी में अंतर्गत विचार में लिए जाएंगे एवं जिसके लिए समस्त श्रेणी के अभ्यर्थी की एक संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर आवंटन होगा।

3.8 प्रवेश का रद्द किया जानाः–

(1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी व्दारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

(2) यदि अभ्यर्थी अपना प्रवेश विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा घोषित प्रवेश की अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व तक रद्द करवाता है तो अभ्यर्थी द्वारा संस्था में जमा की गई शुल्क की राशि में से 1000/–रू. की कटौती कर, शेष समस्त राशि वापिस कर दी जाएगी। तथापि परामर्श (काउन्सलिंग) फीस वापसी योग्य नहीं होगी । अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क (केवल कॉशन मनी को छोड़कर) वापिस नहीं होंगे।

(3) रद्दकरण के पश्चात स्थानों की स्थिति :–
प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, अगले चरण की काउंसिलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा.

3.9 शिक्षण तथा अन्य फीस :–
प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विभिन्न संस्थाओं द्वारा उम्मीदवारों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क के आदेश समय–समय पर जारी किए है । प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होगें।

संस्थागत प्राथमिकता की सीटों का शिक्षण शुल्क अधिकतम ` 1.50 लाख प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी संपूर्ण पाठ्यक्रम अवधि के लिये देय होगा एवं संस्था विशेष उपर्युक्त सीटों पर इससे कम शिक्षण शुल्क पर भी प्रवेश दे सकेगी तथापि यह शिक्षण शुल्क सामान्य पूल की सीटों के शिक्षण शुल्क से किसी भी परिस्थिति में कम न होगा परन्तु संबंधित संस्था द्वारा इस आशय की अग्रिम सूचना समिति को तथा सक्षम प्राधिकारी को देना होगी।

3.10 नियमों/प्रक्रियाओं का उपांतरणः–
मध्यप्रदेश राज्य सरकार, स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति से सम्यक् परामर्श करने के पश्चात् प्रवेश के लिए किसी उपबंध/नियम/प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है और इस प्रकार किया गया कोई उपांतरण आबद्धकर होगा।

3.11 अभिकरण की ओर से किसी उल्लंघन या इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन से व्यथित कोई अभ्यर्थी, प्रक्रिया या अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में वाद हेतु तथा अधिकथित चूक दर्शाते हुए समिति को आवेदन कर सकेगा।

3.12 पाठ्यक्रमः—
ए.आई.सी.टी.ई. व्दारा अनुमोदित तकनीकी शिक्षण संस्थाओं से संबंधित पाठ्यक्रम तालिका में दिए गए हैं।

3.13 निर्वचनः—
इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

3.14 अधिकारिताः—
किसी भी विवाद के मामले में अधिकारिता केवल मध्यप्रदेश में गठित तथा स्थित न्यायालयों तक ही सीमित रहेगी।

प्रवेश नियम की प्रति संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाईट www.dtempcounselling.org एवं www.mptechedu.org पर उपलब्ध रहेगी।

नोटः— ''आंशिक संशोधन के अध्यधीन (अंतिम रूप से काउंसिलिंग के पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी)''

तालिका–1

सत्र 2013–2014 में विभिन्न पोलीटेकनिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु संभावित संस्थावार एवं ब्रांचवार सीटों की संख्या

DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, MADHYA PRADESH				
DISTRIBUTION OF SEATS IN PPT COURSES FOR THE SESSION 2013-2014				
GOVERNMENT INSTITUTIONS/ AUTONOMOUS INSTITUTIONS/ AIDED INSTITUTIONS				
S.NO.	INSTITUTE NAME	INSTITUTE TYPE	BRANCH	INTAKE
1	Alirajpur	GOVT	ET	60
			Civil	60
2	Anuppur	GOVT	ET	60
			Comp	60
3	Ashoknagar	GOVT	Civil	60
			Elect	60
			ET	60
			Mech	60
4	Badwani	GOVT	Comp	60
			IT	30
			Civil	30
			Computer Hardware Manintenance	30
			Refrigeration and Air Conditioning	30
5	Balaghat	GOVT	Civil	60
			Comp	60
			Elect	60
			Mech	60
6	Betul	GOVT	Comp	60
			Elect	60
			ET	60
			Mech	60
7	Bhind [Special Co-Ed Polytechnic College]	G.I._GOVT	Comp	60
			CE	60
8	Bhopal (Govt. Women's Polytechnica College)	G.I.	Comp	60
			ET	60
			Architecture and Interior design	60
			Interior Decoration and design	60
9	Bhopal (Sardar Vallabh Polytechnic College)	GOVT AUTONOMOUS	Civil	60
			Comp	55
			Elect	65
			ET	65
			IT	55

S.NO.	INSTITUTE NAME	INSTITUTE TYPE	BRANCH	INTAKE
			Mech	60
			CTM	60
			Architectural Assistantship	60
			Production Engg	60
10	Burhanpur [Special Co-Ed Polytechnic College]	G.I._GOVT	Civil	30
			Comp	60
			ET	60
			Mech	30
11	Chhindwara [Special Co-Ed Polytechnic College]	G.I._GOVT	Comp	60
			EEE	30
12	Dabra	GOVT	Comp	60
			Elect	60
			ET	60
13	Damoh	GOVT AUTONOMOUS	Civil	60
			Comp	60
			Elect	60
			ET	60
			Mech	60
14	Datia	GOVT	ET	60
			Elect	60
15	Dewas	GOVT	Mech	60
			ET	60
16	Dhar	GOVT AUTONOMOUS	Comp	60
			IT	60
17	Dindori	GOVT	Civil	60
			Comp	60
18	Gwalior (B.R.Ambedkar Polytechnic College)	GOVT AUTONOMOUS	Civil	60
			Comp	60
			Elect	60
			IT	60
			Mech	60
			Textile Tech	60
19	Gwalior (Govt. Women's Polytechnic College)	G.I.	Comp	60
			IT	60
			Textile Design	60
			Interior Decoration and design	60
			ET	60

S.NO.	INSTITUTE NAME	INSTITUTE TYPE	BRANCH	INTAKE
20	Harda	GOVT	Civil	60
			Comp	60
			Elect	60
			Mech	60
21	Indore (Shri Vaishnav Polytechnic College)	GOVT AIDED	Civil	60
			Comp	60
			Elect	60
			ET	60
			Mech	60
			Production Engg	60
			Textile Tech	60
			Opto Electronics Engg	60
			Automobile Engg	30
			Opthalamic Tech	60
22	Indore (Women's Polytechnic College)	G.I. AUTONOMOUS	Comp	60
			Architecture and Interior design	60
			Interior Decoration and design	60
23	Itarsi	GOVT	ET	60
			Mech	60
24	Jabalpur (Govt. Women's Polytechnic College)	G.I.	Comp	60
			ET	60
			Food Tech	60
25	Jabalpur (Kala Niketan Polytechnic College)	GOVT AUTONOMOUS	Civil	59
			Comp	56
			Elect	60
			ET	60
			IT	56
			Mech	60
			Printing Tech	60
			Automobile Engg	60
26	Jaora	GOVT AUTONOMOUS	Civil	60
			Comp	60
			Elect	60
			Mech	60
27	Jatara	GOVT	Civil	60
			ET	60
28	Jawad	GOVT	ET	60
			Mech	60
29	Katni	GOVT	Mech	60
			Comp	60

S.NO.	INSTITUTE NAME	INSTITUTE TYPE	BRANCH	INTAKE
30	Khandwa	GOVT AUTONOMOUS	Civil	60
			Comp	60
			Elect	60
			ET	60
			Mech	60
			Refrigeration and Air Conditioning	60
31	Khargone [Special Co-Ed Polytechnic College]	G.I._GOVT	Comp	60
			ET	60
			IT	60
32	Khirsadoh	GOVT	Civil	60
			Comp	60
			Elect	60
			ET	60
			Mech	60
			IT	60
33	Khurai	GOVT	Civil	60
			Elect	60
			Mech	60
34	Mandsaur	GOVT	ET	60
			Comp	60
			Digital Systems	60
35	Morena	BOYS	Comp	10
			ET	10
			Elect	10
			Mech	10
36	Narsinghpur [Special Co-Ed Polytechnic College]	G.I._GOVT	Comp	60
			ET	60
37	Nasrullaganj	GOVT	Civil	60
			Comp	60
			Elect	60
			ET	60
38	Nowgong	GOVT AUTONOMOUS	Civil	60
			Comp	60
			Elect	60
			ET	60
			Mech	60
39	Pachore	GOVT	Elect	60
			Mech	60

S.NO.	INSTITUTE NAME	INSTITUTE TYPE	BRANCH	INTAKE
40	Panna Poly [Special Co-Ed Polytechnic College]	G.I._GOVT	Comp	60
41	Pawai	GOVT	Civil	60
			Mech	60
42	Raghogarh	GOVT	EI	60
			Comp	60
			Mech	60
43	Raisen	GOVT	ET	60
			Civil	60
			Mech	60
44	Rajgarh	GOVT	Civil	60
			ET	60
45	Rewa	GOVT	ET	60
			Computer Hardware Manintenance	60
46	Sagar [Special Co-Ed Polytechnic College]	G.I._GOVT	Comp	60
			ET	60
			Architecture and Interior design	60
47	Sanawad	GOVT	Civil	60
			Computer Hardware Manintenance	60
			Comp	60
			Elect	60
			ET	60
			Mech	60
48	Satna	GOVT	Comp	60
			Elect	60
			Mech	60
			Cement Tech	60
49	Sendhwa	GOVT	Civil	60
			ET	60
50	Seoni	GOVT	Civil	60
			Comp	60
			Elect	60
			Mech	60
51	Shahdol	GOVT	Civil	60
			Comp	60
			Elect	60
			Mech	60
52	Shajapur	GOVT	Elect	60
			Mech	60

S.NO.	INSTITUTE NAME	INSTITUTE TYPE	BRANCH	INTAKE
53	Sheopur	GOVT	Mech	60
			Comp	60
			Computer Hardware Manintenance	60
54	Shivpuri	GOVT	ET	60
			Comp	60
55	Sidhi	GOVT	ET	60
			Comp	60
56	Sironj	GOVT	Civil	60
			Comp	60
			ET	60
			Mech	60
57	Tikamgarh	GOVT	Comp	60
			Mech	60
58	Ujjain	GOVT AUTONOMOUS	Comp	60
			Elect	60
			ET	60
			IT	60
			Mech	60
			CTM	60
			Chemical Engg	60
			Refinary and Petro Chemical (Petroleum Technology)	60
			Plastic Tech	60
59	Umaria	GOVT	Mech	60
			Elect	60
60	Vidisha (SATI Polytechinic College)	GOVT AIDED	Civil	60
			Comp	60
			Elect	60
			ET	60
			IT	60
			Mech	60
			Automobile Engg	60
			Chemical Engg	60
			Refinary and Petrochemical Engg	60
61	Waidhan	GOVT	Comp	60
			Elect	60
			Mech	60
			Civil	45
			ET	60
Total				12916

SELF FINANCING INSTITUTIONS				
62	Univesity Polytechnic College, RGPV, Bhopal	SELF_Financing	Civil	60
			Mech	60
			Elect	60
			ET	60
Total				240
PRIVATE INSTITUTIONS				
63	Alia Polytechnic College, Bhopal	PRIVATE	Civil	120
			Comp	60
			Elect	60
			ET	60
			Mech	120
64	Ideal Institute of Information Technology, Gwalior	PRIVATE	Civil	120
			Mech	120
65	Jaypee Polytechnic and Training Centre, Rewa	PRIVATE	Comp	40
			ET	40
			Mech	40
66	RAMNATH SINGH INST OF TECH & SC, GWALIOR	PRIVATE	Civil	60
			Comp	60
			ET	60
			IT	60
			MECH	60
Total				960
PRIVATE UNIVERSITY (Second Shift)				
1	Oriental Institute of Science and Technology, Indore	PRIVATE	Civil	60
			Mech	60
			Total	120
PRIVATE INSTITUTIONS (Second Shift)				
2	Aditya College of Technology & Science, Satna	PRIVATE	Cement	60
			Mech	60
3	IES College of Technology, Bhopal	PRIVATE	ET/EC	60
			Mech	60
4	ITM Group of Institution, Gwalior	PRIVATE	Civil	60
			Elect	60
5	Jawaharlal Nehru College of Technology, Rewa	PRIVATE	Civil	60
			Mech	60
6	PATEL GROUP OF INSTITUTION (Patel College of Science & Technology, Bhopal)	PRIVATE	ET/ECE	60
			Mech	60
			Comp	60
			IT	60

S.NO.	INSTITUTE NAME	INSTITUTE TYPE	BRANCH	INTAKE
7	Prestiage Institute of Engineering & Science, Indore	PRIVATE	Civil	60
			Mech	60
8	Radhaswami Institute of Technology, Jabalpur	PRIVATE	Civil	60
			Mech	60
9	Shri Balaji Institute of Techonlgy & Management, Betul	PRIVATE	Civil	60
			Mech	60
Total				1080
GRAND TOTAL				15316

नोटः– एआईसीटीई/राज्य शासन के निर्णयानुसार तत्समय तालिका में दर्शाई गई सीटों की संख्या परिवर्तनीय है।

G.I. = Girls Institution

अध्याय – 3

प्रमाण–पत्रों के प्रारूप

प्रमाण–पत्रों के प्रारूप

प्रारूप–1

उम्मीदवार के पिता/माता/वैध अभिभावक का शपथ पत्र
(केवल अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये)

नाम	:	.....
पिता का नाम	:	.....
अनुसूचित जाति/जनजाति (अनु.का क्रमांक)	:	.....
धर्म	:	.....
व्यवसाय	:	.....
पता	:	.....
		.....
		.....

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि –

1. मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अंतर्गत जिला.....(म.प्र.) के लिये घोषित .....अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का/की सदस्य हूँ।

2. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी .....के समक्ष जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु जो आवेदन पत्र दिनांक.....को प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान/विश्वास के अनुसार सत्य है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

.....

टिप्पणी – जो अनुपयुक्त विकल्प हो उसे काट देवें एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

अनुसूचित जाति / जनजाति प्रमाण–पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक..... प्रमाण पत्र क्रमांक.....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी..... पिता / पति का नाम..... निवासी ग्राम / नगर..... वि.खं..... तहसील.....जिला..... संभाग..... के.....जाति / जनजाति का / की सदस्य है और इस जाति / जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह .....जाति / जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक.....पर अंकित है। अतः श्री / श्रीमती / कुमारी..... पिता / पति का नाम.....अनुसूचित जाति / जनजाति का / की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री / श्रीमती / कुमारी.....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपए.....है।

दिनांक .....
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जानजाति।

(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण–पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर / डिप्टी कलेक्टर / एस.डी.ओ.(अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक / अधिकारी,वृहद / मध्यम / एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

<u>प्रारूप–2 (ब)</u>

अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण–पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक.....
प्रमाण पत्र क्रमांक.....

अस्थायी जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पिता/पति का नाम..... निवासी ग्राम/नगर..... वि.खं..... तहसील.....जिला..... संभाग..... के.....जाति/ जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह .....जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक.....पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी..... पिता/पति का नाम..... .....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपए.....है।

दिनांक .....
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

यह प्रमाण–पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध होगा।

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र

स्थायी प्रमाण पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी
(प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक.....
प्रमाण पत्र क्रमांक.....

जाति प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पुत्री श्री.....
निवासी ग्राम/शहर..... तहसील..... जिला.....
..मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो.....जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन,आदिम जाति,अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8–5 पच्चीस 4–84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984, द्वारा अधिमान्य किया गया है ।

श्री..... और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला..... संभाग..... में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....
क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिशिष्ट क्र 380/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में तथा मध्य प्रदेश शाासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7–26/93/1– आ.प्र., दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के कॉलम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री/श्रीमती/कुमारी.....
के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये.....है।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक..... को प्रवजन कर चुका है।

दिनांक .....
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र

अस्थायी प्रमाण पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी
(प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक.....
प्रमाण पत्र क्रमांक.....

जाति प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पुत्री श्री.....
निवासी ग्राम/शहर..... तहसील..... जिला.....
..मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो.....जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन,आदिम जाति,अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8–5 पच्चीस 4–84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984, द्वारा अधिमान्य किया गया है ।

श्री..... और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला..... संभाग..... में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....
क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिशिष्ट क्र 380/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में तथा मध्य प्रदेश शाासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7–26/93/1– आ.प्र., दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के कॉलम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री/श्रीमती/कुमारी.....
के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये.....है।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक..... को प्रवजन कर चुका है।

दिनांक .....
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

यह प्रमाण–पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध होगा।

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण पत्र
भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)..... वर्ष..... .के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी.....के पिता/माता है–

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है। सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय वे .....पद पर थे/थी उनका सर्विस क्रमांक.....था।

अथवा

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....पद पर सर्विस क्रमांक.....के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए है/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष.....में हो चुकी है।

स्थान : ..... जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांकः .....

(कार्यालय सील)

मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).....
वर्ष..... के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम
में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी.....के पिता/माता है–

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना में .....ओहदे पर सर्विस क्रमांक.....के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है वे इस इकाई में दिनांक.....से सेवारत है।

अथवा

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....के ओहदे पर सर्विस क्रमांक.....के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है।

स्थान :..... हस्ताक्षर : आफिसर कमांडिंग
दिनांकः..... (कार्यालय सील)

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण–पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी(उम्मीदवार का नाम)..... जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)..... वर्ष.....के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार से.....पर (पाठ्यक्रम का नाम)..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी.....के पिता/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से.....(स्थान) तहसील..... जिला.....में व्यवस्थापित हो गये है।

स्थान :..... जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांकः.....

(कार्यालय सील)

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... (उम्मीदवार का नाम) श्री/श्रीमती.....(उम्मीदवार के पिता/माता का नाम) के/वैध (Legitimate) पुत्री/पुत्र है जो श्रीमती..... .....(स्वतंत्रता संग्राम सैनानी का नाम) के/वैध (Legitimate) पुत्री/पुत्र है।

2. श्री/श्रीमती.....(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम मध्यप्रदेश के जिला .....(जिले का नाम) में संधारित (Maintained) स्वतंत्रता संग्राम सैनानी की पंजी (Register) में क्रमांक..... पर पंजीकृत है।

स्थान :..... हस्ताक्षर कलेक्टर
दिनांकः.....

(कार्यालय सील)

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री.....जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)..... वर्ष..... के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है ने नियमित छात्र/छात्रा के रूप में इस संस्था.....
.....(संस्था का नाम) में सत्र.....से सत्र.....तक अध्ययन किया है।

स्थान :..... संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर .....

दिनांकः..... नाम एवं पद.....

(कार्यालय सील)

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री..... जो तहसील.....
जिला.....मध्यप्रदेश का निवासी है, क्योकि वह

1. मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है/हुई है

अथवा

2. वह/उसका पालक/वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरंतर कम से ..कम 15 वर्षो से रह रहा है।

अथवा

3. उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।

अथवा

4. वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षो से कोई अचल संपत्ति, उद्योग व्यवसाय रखते है।

इसके अतिरिक्त

1. उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है। जिसमें कक्षा एक से पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

2. उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

   (क) 10+2 प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा
   (ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा

स्थान : .....
दिनांकः .....

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
(कार्यालय सील)

टिप्पणी : जो अंश आवश्यक न हो उन्हें काट दिया जावे।

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)..... वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है, श्री/श्रीमती.....का/की पुत्र/पुत्री है।

(क) जो.....विभाग में.....पद पर .....(तिथि) से पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी हैं।

अथवा

(ख) जो.....विभाग में.....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे और जो .....(तिथि) को इस विभाग से सेवा निवृत्त हुएं।

अथवा

(ग) जो.....विभाग में.....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए.....(तिथि) को हो गई थी।

अथवा

(घ) जो.....विभाग में.....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी है।

स्थान : .....
दिनांकः .....

कार्यालय प्रमुख/सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
(कार्यालय सील)

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री.....जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)..... वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है, श्री/श्रीमती..... का/की पुत्र/पुत्री है, जो दिनांक 1 जनवरी 2013 अथवा उसके पूर्व की तिथि..... ..... से मध्यप्रदेश में स्थित.....विभाग में..... .....पद पर पदस्थ केन्द्रीय शासन/सार्वजनिक उपक्रम का/की कर्मचारी है।

स्थान :..... कार्यालय प्रमुख/सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर .....

दिनांकः..... नाम एवं पद.....

(कार्यालय सील)

मध्यप्रदेश में पुर्नव्यवस्थापन संबंधी प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)..... ..... वर्ष..... के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है, श्री/श्रीमती.....का/की पुत्र/पुत्री है, जो.....योजना के तहत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन/मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत पुर्नव्यवस्थापन योजना (Resettlement scheme) है।

स्थान :..... हस्ताक्षर : कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट

दिनांकः..... (कार्यालय सील)

प्रारूप–12

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवार संबंधी प्रमाण–पत्र

Office of the Zonal Officer

TO WHOM IT MAY CONCERN

Certified that .....

S/o or D/o ..... R/o

..... Tehsil .....

District.....

A/P..... Pin ..... is registered from No.

..... R/Card No ..... At S. No.

..... of his/her father ration card issued from this zone.

Seal of Tehshildar Zonal Officer / Tehshildar

मध्यप्रदेश के अधिकारी/कर्मचारी जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई का प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक ..... दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/आत्मजा/श्री ..... जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) ..... वर्ष .... के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) .....में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवारों की सीटों के विरूद्ध प्रवेश का उम्मीदवार है ।

श्री..... (उम्मीदवार का नाम) के पिता/माता श्री/श्रीमती..... मध्यप्रदेश सेवा के अधिकारी/कर्मचारी है जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु दिनांक ..... से दिनांक ..... तक .... (स्थान का नाम) में रही है ।

स्थान ..... हस्ताक्षर
दिनांक ..... (सील)

राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियो के लिये प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक ..... दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .....
आत्मज / आत्मजा / श्री ..... ने वर्ष ..... की .....
..... में भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के अधिकार पत्र पर आयोजित .....
..... राष्ट्रीय प्रतियोगिता में .....
.... स्वर्ण पदक अर्जित किया है ।

स्थान .....
दिनांक .....

संचालक
खेल और युवक कल्याण, मध्यप्रदेश
हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

नोट :– ओपन, जूनियर, सीनियर एवं नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को इस हेतु राष्ट्रीय प्रतियोगिता की श्रेणी में नही माना जावेगा ।

प्रारूप–15

(देखें नियम 1.17)

प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन

(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न–पत्र में निम्नलिखित प्रश्न/उत्तर उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :–

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक/ उत्तर क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर.....
आवेदक का नाम.....

स्थान .....
दिनांक .....

प्रारूप–16

(देखें नियम 1.18)

आदर्ष उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन

(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्षित सेट क्रमांक ..... के आदर्ष उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :–

स.क्र.	उत्तर क्रमांक	आदर्श कुंजी में प्रदर्षित उत्तर	अभ्यार्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक .....

अध्याय–04

पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम (सिलेबस)

भौतिकी – (50 प्रश्न)

गति–	गति विस्थापन, एक समान तथा असमान गति, चाल और वेग, त्वरण गति के समीकरण ।
बल–	बल, पिण्ड का जड़त्व, सन्तुलित बल, असंतुलित तथा त्वरण पिण्ड का द्रव्यमान, त्वरण और बल में संबंध, क्रिया और प्रतिक्रिया बलयुग्म ।
गुरूत्वाकर्षण–	गुरूत्वाकर्षण नियम, गुरूत्वीय त्वरण, स्थित विद्युत बल, चुम्बकीय बल ।
कार्य–	बल द्वारा सम्पादित कार्य, कार्य और उर्जा में संबंध, गतिज उर्जा, स्थितिज उर्जा, संरक्षण नियम शक्ति।
तरंग गति–	तरंग की प्रकृति, माध्यम में तरंगो का संचरण, तरंगो के प्रकार, अनुदैर्ध्य, सरल आवर्त, गति ग्राफी निरूपण का आयाम, तरंग वेग, तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति में संबंध, तरंगों को परावर्तन तथा अपवर्तन, अनुप्रस्थ तरंगों के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम तरंगों के संचरण में उर्जा का स्थानान्तरण, प्रकाश और ध्वनि तरंग, उर्जा बहार के रूप में ।
मानव नेत्र–	मानव नेत्र द्वारा प्रकाश तरंगों में वाहित उर्जा का अवगम, मानव नेत्र की संरचना एवं कार्यविधि नेत्र लेंस की फोकस दूर, रेटिना (दृष्टि पटल) पर प्रतिबिम्ब का बनाना, दृष्टिकोण निकट दृष्टि एवं दूरदृष्टि दोषों का निवारण वर्ण अवगम श्वेत प्रकाश का संगठन, विभिन्न वर्णो का तरंग दैर्ध्य, वस्तुओं का रंग, नेत्र में संवेदि कोशिकाएं शलका और शंकु, अंध बिन्दु वर्णान्धता।
दूरदर्शी–	रचना और कार्यविधि सूक्ष्मदर्शी रचना एवं कार्यविधि।
उष्मा–	उर्जा का रूप यांत्रिकी कार्य और उष्मा, उष्मा और ताप–मापन, उष्मा के प्रभाव, उष्मीय प्रसार एवं अवस्था परिवर्तन।

विद्युत–	उर्जा का एक स्त्रोत, चालक एवं प्रतिरोधक, धारा विभवान्तर और प्रतिरोध का मापन तथा इनमें संबंध। विद्युतधारा का उष्मीय प्रभाव उष्मीय विद्युत धारा, प्रतिरोध और धारा प्रवाह समय में परिणात्वमक संबंध, धारा के उष्मीण प्रभाव पर आधारित सचित्र उर्जा का मापन मात्रक एवं पावर।
विद्युत धारा के चुबंकीय प्रभाव	विद्युतवाही चालक कुंडली और परितालिका का चुबंकीय क्षेत्र, विद्युत मोटर अनुप्रयोग, विद्युत चुबंकीय प्रेरणा, विद्युत जनित्र दृष्टि धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा (प्रारंभिक ज्ञान) ।
घरेलू विद्युत परिपथ–	वायरिंग फ्यूज, संभावित संकट और सुरक्षात्मक उपायों का प्रारंभिक ज्ञान ।

उर्जा

सूर्य उर्जा के स्त्रोत के रूप में पृथ्वी द्वारा और उर्जा का अवशेषण, सौर उष्मक, सौर सेल, पवन चक्की, जल विद्युत उत्पादन समुद्री तरंगों से विद्युत।

नाभिकीय उर्जा, नाभिकीय विखण्डन से विद्युत उर्जा परमाणु शक्ति संयंत्र, अवशिष्ट पदार्थो का पुनचंक्रण, अवशिष्ट पदार्थ, जैब अवकर्षणीय, नाभिकीय तथा रेडियों एक्टिव अवशिष्ट पदार्थ का समुचित विकास, विकिरण संकट, रेडियों एक्टिव अवशिष्ट के हानिकारक प्रभाव रेडियों एक्टिव के समुचित भंडारण की तकनीक। अंतर्दहन इंजन के प्रकार, अंतर्दहन इंजन का कार्य सिद्धांत, उर्जा संकट के कारण एवं उनके निवारण हेतु उपाय, उर्जा अपव्यय की रोकथाम, उर्जा के गैर परंपरागत स्त्रोंतों का उपयोग।

विश्व

पृथ्वी– भौतिक एवं जैविक अवयव, वायुमंडल उत्पत्ति से अब तक हुए परिवर्तन, जीवन की उत्पत्ति तथा निर्वाह में सौर उर्जा की भूमिका।

सौर मंडल–ग्रह तथा उपग्रह सौर मंडल की संरचना पृथ्वी सहित ग्रहों की आयु।

विश्व– सौर मण्डल आकाश गंगा, युक्ति गैलेक्सिक, प्रसारी विश्व की उत्पत्ति बिग बैंक सिद्धान्त।

अंतरिक्ष अन्वेषण– अंतरिक्ष अनवेषण का इतिहास अंतरिक्ष विज्ञान के अनुप्रयोग–कृत्रिम उपग्रह संचार, मौसम का नियंत्रण अन्य ग्रहों तथा बाह्य अंतरिक्ष संबंधित सूचनाओं का संगहण।

रसायन– (50 प्रश्न)

द्रव्य–प्रकृति एवं व्यवहार

भिन्न भिन्न पदार्थो एवं प्रकृति एवं व्यवहार

तत्व यौगिक एवं उनमें मिश्रण, द्रव्य की संरचना, अणु एवं परमाणु की संरचना, इलेक्ट्रान, प्रोट्रान, न्यूट्रान नाभिकीय संगठन–परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, परमाणु की विभिन्न उर्जा स्तरों में इलेक्ट्रान वितरण संयोजी इलेक्ट्रान एवं संयोजकता परमाणु द्रव्यमान एवं आण्विक द्रव्यमान, मोल संकल्पना, यौगिकों का प्रतिशत संगठन।

रासायनिक बंध आयनिक एवं सह संयोजी

बंध का बनना, आयनिकों एवं सह संयोजी यौगिकों के मुख्य गुणधर्म।

भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन–

भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अन्तर संयोजी अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रियाएं अपघटन अभिक्रियाएं, मद एवं तीव्र अभिक्रियाएं उत्प्रेरक, रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण, रासायनिक समीकरण, उष्माक्षेपी और उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं ।

विद्युत रासायनिक सेल–

साधारण वोल्टीय सेल की रचना विद्युत रासायनिक सेल की कार्यविधि, सीस संचालक बेटरी एवं शुष्क सेल।

विद्युत अपघटन–

विद्युत अपघटक में आयनों का संचलन, विद्युत अपघटक में निक्षेपित धातु की मात्रा का धारा एवं समय से संबंध विद्युत लेपन।

तत्वों को वर्गीकरणः–

तत्वों के गुणो में समानताएं एवं असमानताएं, आवर्ती नियम, आवर्त एवं समूह, आवर्त समूहों में तत्वों के गुणों की क्रमिकता, आवर्त सारणी में तत्वों को पूर्वानुमान। जैव उर्जा जैव (Biomass) इंधन के रूप में जैव मात्रा। बायोगेस जीवश्म ईंधन के स्त्रोत कोयला प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम।

ईधन के प्रकार–

ईधन का उर्जा, ठोस द्रव और गैसीय ईंधन के अभिलक्षण, दहन हेतु प्रतिबंध, दहन में उत्पन्न उष्मा सजीव में भोजन का दहन।

संतुलित आहार की आवश्यकता–

कार्य की प्रकृति तथा आहार पोषक तत्वों की आवश्यकता एवं कार्य, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा विटामिन एवं खनिज लवण आदि कार्बोहाइड्रेट, वसा विटामिन तथा विटामिन तथा खजिन लवण स्त्रोत पोषक अल्प पोषण (न्यूनता) उत्पन्न रोग एवं उनके लक्षण, प्रोटीन उर्जा कुपोषण, खनिज लवण कुपोषण, रोग के लक्षण अपर्याप्तता के कारक नियंत्रक अतिपोषण के स्थूलता एवं अन्य जटिलताएं कुप्रभाव हृदय वाहिका संबंधी उत्क्रम विकार दांतो का कार्वरण (Mottling) तथा फ्लूरोसिस अति विटामिनता (Hypervitaminosis) एल्कोहन, धूम्रपान, दवाओं तथा मादक पदार्थ की लत से उत्पन्न अक्रम विकार।

खनिज चक्र–

कार्बन चक्र कार्बन और उसके यौगिक की भूमिका, नाइट्रोजन–चक्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ऑक्सीजन चक्र, ऑक्सीजन प्रक्रम, जल चक्र, विभिन्न चक्रों में उर्जा की भूमिका।

परिस्थितिकी संतुलन–

संतुलन बिगाड़ने में मानव की भूमिका परिस्थितिकी संतुलन बनाये रखने के लिये प्रयास। माध्यमिक जल विलायक के रूप में संतृप्त एवं असंतृप्त समुद्री जल जीवों के आवास के रूप में लवण, जल के उपयोग।

वायु–

विकिरण से सुरक्षा में वायुमंडल की भूमिका, वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल में जल एवं अन्य कणिकीय द्रव्य कॉर्बन डाई ऑक्साइड एवं उसका जीवधारियों पर प्रतिकूल प्रभाव वृक्षों की भूमिका, जीवाश्म ईंधन एवं स्वचलित वाहनों द्वारा कार्बन डाईआक्साईट का उत्सर्जन धातुओं का संरक्षण, अम्लीय गैसों द्वारा ऐतिहासिक स्मारों की क्षति, जीवधारियों पर एस्वेस्टस धातुकणों इत्यादि का प्रभाव, कार्बन मोनो ऑक्साइड तथा इसका कुप्रभाव धूप कोहरा, वायु प्रदूषण और इसका मानव पर प्रभाव।

प्राकृतिक संसाधनों पर मानव की निर्भरता–

पृथ्वी से प्राप्त खनिज धातु एवं अधातु, अधातुओं के उपयोग। कार्बन और उसके यौगिक कार्बन और हाइड्रोकार्बन के गुणधर्म, पेट्रोलियम उत्पाद, धातुओं का निष्कर्षण, तथा कुछ मिश्र धातुओं के गुणधर्म, धातु की अधातुओं तथा कुछ धातुओं के घरेलु एवं औद्योगिक उपयोग।

गणित– (कुल प्रश्न 50)

बीजगणित

(1) परिमित और अनन्त समुच्चय, उप समुच्चय, रिक्त समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, पूरक समुच्चय तथा उनका अनुप्रयोग।

(2) पूर्णांक के समुच्चय पूर्ण संख्याएं पूर्णांक एवं परिमेय संख्याओं का पुनरीक्षण अपरिमेय संख्याओं का समाप्त होने वाले और पुनरावृत्ति न किए जाने वाले दशमलवों के रूप में परिचय। करणी का परिमेयकरण । वास्तविक संख्याएं तथा वास्तविक संख्यों के समुच्चय के गुणों का कथन।

(3) प्रमेय और अनुप्रयोग, बहुपदों के गुणनखण्ड करने में जिसके घात चार से अधिक न हो बहुपदों महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य गुणनफल एवं भागफल विधि द्वारा हल।

(4) दो चर राशियों के रेखिक समीकरण और उसका अरेख, दो चर राशियों की दो रेखिक समीकरण प्रणाली, समीकरणों की संगतता (कंसीस्टेंसी इनकंसीस्टेंसी) समीकरण प्रणाली के हल की बीजगणितीय विधि, विभिन्न क्षेत्रों में समीकरण प्रणाली के अनुप्रयोग।

क्षेत्रमिति

आयत, वर्ग, त्रिभुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या खण्ड अथवा धनु, धनाभ, शंकु, बेलन एवं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ।

त्रिकोणमिति

(1) त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं

उपरोक्त सूत्र पर आधारित सरल सर्वसमिकां पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात

(2) उचाई और दूरी पर प्रश्न

ज्यामिति

(1) समरूप त्रिभुजः

1. यदि किसी त्रिभुज में भुजा के समानान्तर एक सरल रेखा खीची जाये तो वह अन्य दो भुजाओं को उसी अनुपात में विभक्त करती है।
2. यदि कोई त्रिभुज में कोई सरल रेखा उसकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करें तो यह तीसरी भुजा के समानान्तर होती है।
3. यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर हों तो उसकी संगत भुजाएं समान अनुपाती होती है।
4. यदि दो त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हों तो त्रिभुज आपस में समान कोणिक होता है।
5. यदि त्रिभुज आपस में समान कोणिक हों तो त्रिभुज समरूप होगें।
6. यदि दो त्रिभुजो की भुजाएं समानुपात में हो तो त्रिभुज समरूप होगें।
7. यदि दो त्रिभुजों में एक का कोण दूसरे के संगत कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को बनाने वाली भुजाऐं समनानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होगें।

8. यदि किसी त्रिभुज की शीर्ष से कण पर लंब डाला जाये तो लंब के दोनों और बनने वाले त्रिभुज आपस में समरूप होगें और दिये हुए त्रिभुज के समरूप होगें।
9. समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं पर बने वर्गो के अनुपात के समान होता है।
10. किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग तीसरी भुजा पर बने वर्ग के बराबर होता है तो तीसरी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है।

(2) वृत्तः

1. यदि दो वृत्तों की त्रिज्यायें बराबर हों तो आपस में सर्वांगसम होगें।
2. यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल बराबर हों तो उनकी संगत जीवाएं बराबर होती है, इसका विलोम।
3. यदि किसी वृत्त के केन्द्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो वह जीवा को दो बराबर भागों में विभक्त करता है और इसके विपरीत जीवा के मध्य बिन्दु से वृत्त के केन्द्र को मिलाने वाली सरल रेखा जीवा पर लंब होती है।
4. एक और केवल एक ही वृत्त उन तीन बिन्दुओं से होकर खींचा जा सकता है जो एक सरल रेखा में न हो।
5. इसी वृत्त में तुल्य जीवाएं केन्द्र से समान दूरी पर होती है और इसके विपरीत यदि किसी वृत्त में दो जीवाएं वृत्त के केन्द्र से बराबर दूरी पर हो तो वे आपस में बराबर होती है।
6. वृत्त के किसी चाप द्वारा केन्द्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि की किसी बिन्दु पर बने कोण का दुगुना होता है।